



उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 30 माघ, शक संवत्, 1946

(दिनांक : 19 फरवरी, 2025)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (दिखाए नत्थी "क")
2. अन्य प्रश्न (दिखाए नत्थी "ख")
3. निधन के निदेश।
4. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 को सदन के पटल पर रखेंगे।
5. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अध्यादेश, 2024 को सदन के पटल पर रखेंगे।
6. खेल मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य कीड़ा विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2024 को सदन के पटल पर रखेंगे।
7. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिनियम, 2003 की धारा-9(2) के प्राविधानानुसार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) तथा (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) को सदन के पटल पर रखेंगे।
8. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(1) के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखेंगे।
9. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे।
10. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-181 के अन्तर्गत दिनांक 21 अगस्त, 2022 से 13 जनवरी, 2024 तक अधिसूचित विनियमों का संकलन को सदन के पटल पर रखेंगे।
11. आवास मंत्री, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अध्याय-IX के अन्तर्गत धारा-78 के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) के वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2022-23) को सदन के पटल पर रखेंगे।
12. मुख्यमंत्री, सेवा का अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 (ATR सहित) को सदन के पटल पर रखेंगे।

13. मुख्यमंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(बी) के अनुपालन में पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के वित्तीय वर्ष, 2023-24 के वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखेंगे।
14. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तराखण्ड राज्य कीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 को सदन के पटल पर रखेंगे।
15. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-
 - (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का दसवां अधिनियम बन गया।
 - (2) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2023 प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।
 - (3) उत्तराखण्ड विनियोग (2024-2025 का अनुपूरक) विधेयक, 2024 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2024 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 06 सितम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का बारहवां अधिनियम बन गया।
 - (4) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2024 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2024 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 10 सितम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का तेरहवां अधिनियम बन गया।
 - (5) उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2024 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2024 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का चौदहवां अधिनियम बन गया।
 - (6) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2024, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2024 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

- (7) उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2024, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2024 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का सोलहवां अधिनियम बन गया।
- (8) उत्तराखण्ड कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2024, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2024 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का सत्रहवां अधिनियम बन गया।
16. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनाएँ, यदि कोई हों।
17. श्री शहजाद, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पवरी में आयी सिल्ट के कारण वर्षाकाल में स्थित कृषि योग्य भूमि को होने वाली हानि की रोकथाम के सम्बन्ध में" चौधरी नरेन्द्र सिंह, नगला खिताब एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
18. श्री शहजाद, विधान सभा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत पश्चिम बहनी बाण गंगा नदी को पुनर्जीवित व गंगा घाट के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती दीपा सैनी पत्नी श्री प्रदीप सैनी, ग्राम प्रधान, ग्राम झिब्रहेड़ी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
19. श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रुड़की के अन्तर्गत भारी बाहनों/ आटो मोबाईल एवं ई-रिक्शा का रूट प्लान तैयार कर भारी जाम से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती बबीता यादव, न्यू आदर्श नगर, रुड़की एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
20. श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रुड़की के अन्तर्गत नगर निगम पुल से गणेशपुर पुल तक गंगा नहर के दोनों ओर कैनाल साईड सौन्दर्यीकरण एवं पुराने घाटों का जीर्णोद्धार व नये घाटों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री सावन गुप्ता, गांधी चट्टिका, नगर निगम, रुड़की एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
21. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
22. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणाएँ, यदि कोई हों।
23. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

24. खेल मंत्री द्वारा निम्न प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :-

मैं प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य कीडा विश्वविद्यालय विधेयक 2024 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2024 को पुनःस्थापित हुआ तथा दिनांक 23 अगस्त, 2024 को उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित किया गया, जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

25. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
26. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।
27. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
28. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।
29. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
30. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।
31. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड निरसन विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
32. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड निरसन विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।
33. आवास मंत्री, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
34. आवास मंत्री, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।
35. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

36. श्री विनोद चमोली, सदस्य विधान सभा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

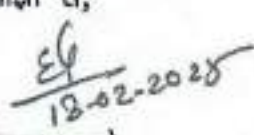
“यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2025 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।”

डा० मोहन सिंह बिष्ट, सदस्य विधान सभा उपर प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी “ग”)

37. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून :
दिनांक : 18 फरवरी, 2025

आज्ञा से,

(हिम चन्द्र पन्त)
उप सचिव (लेखा),
कृते सचिव।



प्रथम सत्र, 2025
का प्रथम बुधवार

**उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची
बुधवार,
30 माघ, शक संवत्, 1946
(दिनांक : 19 फरवरी, 2025)**

**नत्थी 'क'
अल्पसूचित प्रश्न**

श्री भुवन चन्द्र कापड़ी
07.02.2025

****क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य कर्मियों एवं पेशानरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ गोल्डन कार्ड योजनान्तर्गत राज्य सरकार को वर्षवार कितना अनुमानित अंशदान प्राप्त हो गया है और इस धनराशि में से कितनी धनराशि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाती है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि गोल्डन कार्ड योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि व राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा मदवार व्यय का प्रतिशत क्या है? क्या यह सत्य है कि प्राधिकरण को धन की उपलब्धता निरन्तर होने के बावजूद राज्य कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों का भुगतान धन की अनुपलब्धता के कारण दर्शाकर नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों के भुगतान में हो रहे विलम्ब के कारणों की जांच करेगी एवं राज्य कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों के शीघ्र भुगतान किये जाने हेतु प्राधिकरण को निर्देशित करना सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं तो क्यों?**

चिकित्सा स्वास्थ्य

श्री मधेश जीना
12.02.2025

****क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक भी गर्ल्स स्पोर्ट्स कालेज स्थापित नहीं है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि बालिकाओं को खेलों में अधिक प्रतिभावान बनाने एवं प्रोत्साहित करने के लिए कोई खेल नीति बनाई जा रही है? क्या सरकार बालिकाओं को खेल में आगे बढ़ाने हेतु जिला स्तर पर गर्ल्स स्पोर्ट्स कालेज स्थापित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?**

खेल एवं युवा
कल्याण

तारांकित प्रश्न

श्री नुरेश गढ़िया
13.12.2024

*01. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जो परिवार अपने मूल परिवार से पृथक् हो रहे हैं, कमजोर आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत उन परिवारों हेतु बी.पी.एल. एवं अन्वयोदय राशन कार्डों के वितरण हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अनेक ग्राम पंचायतों में बी.पी.एल. एवं अन्वयोदय राशन कार्डों के वास्तविक पात्र व्यक्ति इस सुविधा से वंचित हैं? क्या सरकार द्वारा उनके लिए कोई कार्ययोजना बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता मामले

श्री प्रीतम सिंह पंवार
16.12.2024

*02. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या का अनुमान सही पद्धति तथा सही रूप से आंकलन किए जाने की आवश्यकता है? क्या यह सत्य है कि सटीक पद्धति व सही तरीके से गरीबी रेखा का आंकलन न होने से हजारों गरीब लोग खाद्य सुरक्षा जैसी समावेशी योजना से वंचित हैं? क्या सरकार खाद्य सुरक्षा योजना को परिणामोन्मुखी बनाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों तथा लोगों का सही आंकलन करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता मामले

श्री वृजभूषण गैरोला
16.12.2024

*03. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के अन्तर्गत पालना (केच) योजना कितने जिलों में चल रही है? क्या यह सत्य है कि प्रदेश की कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की प्राथमिक शिक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा पालना (केच) योजना शुठ की गई है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्दर कुल कितने पालना (केच) केन्द्र खोले गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला सशक्तिकरण
एवं बाल विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार
17.12.2024

*04. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राशन कार्डों पर नाम जोड़ने अथवा यूनिट दर्ज करने की प्रक्रिया स्थगित की गयी है? क्या यह सत्य है कि विवाहोपरान्त किसी परिवार में ब्याह कर आयी युवती/वधु एवं जन्म लेने वाले शिशुओं का नाम भी राशन कार्ड पर अंकित नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार बतायेगी कि ऐसी नव विवाहिता व शिशु का नाम राशन कार्डों में दर्ज करने की प्रक्रिया को बहाल किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता मामले

श्री प्रीतम सिंह पंवार
24.12.2024

*05. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश भर में राशन कार्डों में नाम इन्द्राजी न होने तथा पृथक राशन कार्ड न बनाये जाने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार बतायेगी कि राशन कार्ड में नाम इन्द्राजी न होने अथवा पृथक राशन कार्ड न बनने से उपभोक्ताओं के जरूरी दस्तावेज यथा आयुष्मान कार्ड आदि प्रपत्र नहीं बन रहे हैं? क्या सरकार विभागों में लम्बित आवेदनों को यथाशीघ्र नाम इन्द्राजी कर उपभोक्ताओं को राहत देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता मामले

श्री सुरेश मर्दिया
31.12.2024

*06. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारी की क्या प्रगति है एवं प्रदेश के किन-किन शहरों में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जायेगा? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड से कितने खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेंगे एवं उनकी तैयारियों के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा खिलाड़ियों की तैयारियों हेतु क्या सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उक्त खेलों के आयोजन हेतु पहाड़ी क्षेत्र वाले जनपद भी शामिल किये गए हैं? यदि हां, तो वह कौन-कौन से जनपद हैं तथा उन जनपदों में खेल प्रतियोगिताओं का सफल संचालन हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

श्री महेश जीना
16.01.2025

*07. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? क्या मंत्री जी यह भी अवगत करायेंगे कि वर्ष, 2022 से आतिथि तक कुल कितनी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है और कुल कितनी सहायता प्रदान की गयी है? क्या सरकार तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला सशक्तिकरण
एवं बाल विकास

श्रीमती पार्वती दास
16.01.2025

*08. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर व गठड़ में खिलाड़ियों के खेल सुविधाओं हेतु व युवाओं के फौज/पुलिस आदि भर्ती हेतु कितने मिनी स्टेडियमों का निर्माण करवाया गया है? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर व गठड़ में कई स्थान ऐसे हैं, जिसमें मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा सकता है? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर व गठड़ में खिलाड़ियों के खेल सुविधाओं व युवाओं के फौज/पुलिस आदि भर्ती हेतु मिनी स्टेडियम का निर्माण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण

श्री महेश जीना
20.01.2025

*09. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में युवा कल्याण विभाग द्वारा युवक मंगल दलों एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि प्रदान की जाती है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बात से अवगत करायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत वर्ष, 2022 से आतिथि तक कुल कितने युवक मंगल दलों एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध करायी गयी है? क्या सरकार सभी युवक मंगल दलों एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण

श्री उमेश कुमार
21.01.2025

*10. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि खेल विभाग द्वारा पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी दी गयी है एवं उसके क्या मानक/नियम तय किये गये हैं? क्या सरकार तत्सम्बन्धी विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

श्री दलीप सिंह रावत
04.02.2025

*11. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल में चयनित अभ्यर्थियों को नियमित अभ्यास (ट्रिनिंग) कराया जाता है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन अभ्यर्थियों को अभ्यास (ट्रिनिंग) नहीं दिया गया है, उनको भी नियमित रूप से अभ्यास (ट्रिनिंग) कराया जायेगा? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण

श्रीमती ममता राकेश
04.02.2025

*12. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के बी०पी०एल० कार्ड धारकों के जो कार्ड जमा किये गये थे, उनके स्थान पर नये कार्ड बनाने की सरकार की कोई योजना है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान समय में बी०पी०एल० श्रेणी के कार्ड धारकों के लिए कोई नये मानक तय किये गये हैं? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता मामले

डॉ० प्रमोद नैन्वाल
05.02.2025

*13. क्या युवा कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए कोई खेल नीति तैयार की गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में कहां-कहां खेल मैदान/मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया है? क्या सरकार उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण

डॉ० प्रमोद नैन्वाल
05.02.2025

*14. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में बी०पी०एल० राशन कार्डधारक राशन कार्ड में अपने यूनिट दर्ज नहीं करा पा रहे हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि बी०पी०एल० राशन कार्डधारकों को राशन कार्ड में यूनिट दर्ज कराने के लिए कोई विशेष कार्ययोजना तैयार की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार तत्सम्बन्धी का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता मामले

श्रीमती ममता राकेश
05.02.2025

*15. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में राशन कार्डों के ऑनलाईन सत्यापन कराने में ए०पी०एल० एवं बी०पी०एल० श्रेणी उपभोक्ताओं के राशन कार्डों की यूनिट को काट कर कम किया जा रहा है, जिस कारण लोगों को पर्याप्त राशन नहीं मिल पा रहा है? क्या मंत्री जी ऑनलाईन सत्यापन में की जा रही इस त्रुटि में सुधार करवाने हेतु कोई ठोस कार्यवाही करवायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता मामले

अतारांकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार
13.12.2024

01. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जनपदवार प्रशिक्षित पी. आर.डी. स्वयंसेवकों महिला/पुरुषों की कुल कितनी संख्या है? क्या सरकार बतायेगी कि प्रशिक्षित पी.आर.डी. स्वयंसेवकों को इयूटी पर तैनात किया गया है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि परित्यक्ता, तलाकशुदा व विधवा स्वयंसेवकों को इयूटी पर तैनाती में प्राथमिकता दी जायेगी? क्या सरकार ऐसी महिला स्वयंसेवकों को वर्षभर रोजगार देने तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विशेष कार्ययोजना अथवा नीति बनायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण

श्री प्रीतम सिंह पंवार
13.12.2024

02. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्रसवोपरान्त महिलाओं को प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर एक-एक मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना प्रारम्भ की गयी है? क्या वह सत्य है कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट से अधिकांश महिलाओं को वंचित किया जा रहा है? क्या सरकार बतायेगी कि राज्य में प्रसवोपरान्त प्रत्येक महिला को प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री बृजभूषण गौरेला
16.12.2024

03. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य की कामकाजी महिलाओं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए राज्य में सखी निवास योजना प्रारम्भ की गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस सखी योजना से किन-किन स्थानों में छात्रावास का निर्माण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्रीमती ममता राकेश
16.12.2024

04. क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि पूर्व मंत्री स्व० श्री सुरेन्द्र राकेश के प्रयासों से जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में डा० भीमराव अम्बेडकर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया था, जिसका लाभ खिलाड़ियों द्वारा उठाया जा रहा है? क्या मंत्री जी के संज्ञान में यह भी है कि युवाओं की खेल प्रतिभाओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्टेडियम पर्याप्त नहीं हो रहा है? क्या सरकार क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा को देखते हुए उक्त स्टेडियम का विस्तार कर (छात्रावास सहित) बनाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

श्रीमती ममता राकेश
16.12.2024

05. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री के संज्ञान में है कि उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड द्वारा श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा एवं अपनी इच्छा से कालेज चुनने का प्राविधान किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि महिला सशक्तिकरण विभाग में कार्यरत कार्यकर्त्रियों के बच्चों को भी उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड की भांति निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार
17.12.2024

06. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के उच्चीकरण किये जाने तथा नये आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजे गये हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में किन-किन गांवों में नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र सृजित करने तथा किन-किन मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को उच्चीकृत किए जाने के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार
19-12-2024

07. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कुपोषण व अल्पपोषण का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों में देखा जा रहा है? क्या यह सत्य है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए पर्याप्त पोषक आहार अत्यन्त आवश्यक है? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में बच्चों को कुपोषण व अल्पपोषण से बचाने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के जनपदों में कुपोषण व अल्पपोषण के कितने बच्चे पाये गये हैं और इनको कुपोषण से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार
19.12.2024

08. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा राज्य, राष्ट्रीय व ओलम्पिक में मेडल प्राप्त करने तथा मेडल प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि व अन्य सुविधायें प्रदत्त किए जाने के क्या मानक निर्धारित किए गये हैं? यदि हां, तो वह क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

श्री प्रीतम सिंह पंवार
19.12.2024
डा० प्रमोद नैन्वाल
06.02.2025

09. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ तथा आंगनवाड़ी सहायिकाएं मानदेय में वृद्धि की मांग हेतु आन्दोलनरत हैं? क्या सरकार इनकी न्यायोचित मांगों पर विचार कर मानदेय में वृद्धि करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्रीमती पार्वती दास
24.12.2024

10. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के ग्राम खोली में मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम खोली में मिनी खेल स्टेडियम में कौन-कौन से खेल गतिविधियों का संचालन कब से तथा कितनी धनराशि से मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

श्री महेश जीना
24.12.2024

11. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आतिथि तक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में कुल कितने कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार मानदेय के साथ अन्य अनुमन्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री दलीप सिंह रावत
24.12.2024

12. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडाउन के अन्तर्गत विकास खण्ड नैनीडांडा, जयहरीखाल एवं बीरौखाल में मिनी स्टेडियम स्थापित है? यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण

श्री दलीप सिंह रावत
24.12.2024

13. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में नियुक्त प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को प्रतिवर्ष अवकाश सुविधा का लाभ दिया जाता है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण

श्री महेश जीना
27.12.2024

14. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में एल.पी.जी. गैस सिलिण्डरों की आपूर्ति हेतु घर-घर जाकर गैस सिलिण्डर वितरण करने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र सल्ट के बाजखेत-कुशिया चौब-ढैया किचर मार्ग पर आज भी एल.पी.जी. गैस सिलिण्डर की आपूर्ति नहीं की जा रही है? क्या सरकार जनहित में सल्ट विधान सभा के मोटर मार्गों से जुड़े हुए सभी गांवों को एल.पी.जी. गैस सिलिण्डर की सुविधा उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य नागरिक
आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले

श्री महेश जीना
03.01.2025

15. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आतिथि कितने मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और कितने प्रस्तावित है? क्या यह भी सत्य है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के अभाव में युवा प्रतिभा अपनी प्रतिभा को दिखाने से वंचित हो रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्तर पर मिनी स्टेडियमों का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण

श्री संजय डोभाल
03.01.2025

16. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड नौगांव में ग्राम पंचायत मसालगांव के धाती नाने तोक में ग्रामवासियों द्वारा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत मसालगांव में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री संजय डोभाल
06.01.2025

“द्वितीय मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-12 में स्थानांतरित”

17. क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में वर्ष, 2019 में गुलाबी कांटा में स्नो स्कीइंग कोर्स कराया गया था, जिसमें क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया? क्या यह सत्य है कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए गुलाबी कांटा में स्नो स्कीइंग कोर्स कराये जाने के लिए युवाओं एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार गुलाबी कांटा में इस वर्ष स्नो स्कीइंग कोर्स करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

श्री उमेश कुमार
21.01.2025

18. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष, 2019-20, 2020-2021, 2021-22, 2022-23 एवं वर्ष, 2023-24 में जनपद हरिद्वार में कुल कितने मिनी स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की गई है? क्या सरकार तत्सम्बन्धी विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण

श्री उमेश कुमार
21.01.2025

19. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के अधिकांश गरीब परिवारों के राशन कार्ड में उनके यूनिट ऑनलाईन दर्ज नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कई परिवारों को सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्या सरकार तत्सम्बन्धी विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य नागरिक
आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले

डॉ० प्रमोद नैनवाल
05.02.2025
श्री भुवन चन्द कापड़ी
07.02.2025

20. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर विज्ञापित जारी की गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर आवेदन करने हेतु आयु सीमा 35 वर्ष तय होने के कारण 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी बहिनें आवेदन हेतु अर्ह नहीं हो पा रही हैं? क्या सरकार जनहित में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर आवेदन करने हेतु आयु सीमा में छूट प्रदान करते हुए इसे 42 वर्ष करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास



नत्थी "ग"

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

क्रम सं० प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री यशपाल आर्य
भा० नेता प्रतिपक्ष

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था यथा चोरी, डकैती, महिला अपहरण, बलात्कार, हत्या जैसे मामलों में हो रही लगातार बढ़ोतरी रोके जाने,
2. सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोके जाने,
3. राज्य में सशक्त भू-कानून एवं मूल निवास लागू किये जाने,
4. राज्य की विभिन्न सेवाओं एवं संवर्गों की भर्ती के समय एस०सी०, एस०टी०, एवं ओ०बी०सी० वर्गों के लिये संविधान सम्मत आरक्षण का जो प्रतिशत रखा गया है उसका पालनप नहीं किया गया है, उसका पालन किये जाने,
5. राज्य के बेरोजगारों हेतु रोजगार सृजन एवं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरे जाने,
6. राज्य में चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के चिकित्सालयों में स्पेशलिस्ट डाक्टरों की तैनाती किये जाने,
7. प्रदेश में एस०सी०, एस०टी०, एवं ओ०बी०सी० के पदों को बैकलॉग से भरे जाने,
8. प्रदेश के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में सड़कों की बदहाल स्थिति को ठीक किये जाने,
9. बाजपुर विधान सभा के अन्तर्गत 20 गांवों की भूमि के निवासियों की समस्या का निदान किये जाने,
10. बाजपुर शहर को बाढ़ से बचाने हेतु कोई दीर्घकालिक योजना लाये जाने,
11. प्रदेश में बी०पी०एड० एवं डी०पी०एड० के अन्तर्गत प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति दिये जाने,
12. प्रदेश के अन्तर्गत राजकीय इन्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरे जाने,

13. राज्य में डी0एल0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति दिये जाने,
14. ऊर्जा प्रदेश में बिजली कटौती को कम किये जाने,
15. प्रदेश के अन्तर्गत महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के सभी रिक्त पदों पर तैनाती किये जाने,
16. प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में भीषण पेयजल संकट को दूर किये जाने
17. प्रदेश में स्थापित उद्योगों में राज्य के बेरोजगारों, युवक युवतियों को 75 प्रतिशत रोजगार देने हेतु कानून बनाये जाने,
18. प्रदेश के विभिन्न विभागों में लम्बे समय से अस्थाई रूप से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण किये जाने,
19. उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने,
20. हिमाचल प्रदेश की भांति उत्तराखण्ड प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल किये जाने
21. प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ब्लाक स्तर पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराये जाने,
22. प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं निर्धन छात्र/छात्राओं हेतु हास्टल निर्मित किये जाने,
23. चीनी मिल बाजपुर स्थित आसयानी के आधुनिकीकरण किये जाने,
24. आदिम जनजाति बुक्सा के विकास हेतु कोई नई योजना लाये जाने,
25. विधान सभा क्षेत्र बाजपुर के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में व्याप्त अनियमितताओं को ठीक कराये जाने,
26. चीनी मिल बाजपुर में मृतक आश्रितों को लम्बे समय से नियुक्ति दिये जाने,
27. बाजपुर स्थित परिवहन विभाग के बस अड्डे में व्याप्त अनियमितताओं को ठीक किये जाने,
28. बाजपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने।

2. श्री प्रीतम सिंह

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. कालसी-सहिया नोटर मार्ग के जजरेड में पुल या टनल का निर्माण किये जाने।

2. प्रदेश में रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए उत्तराखण्ड राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित किये जाने।
3. स्वच्छता अभियान के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति का निर्धारण किये जाने।
4. महिलाओं को सुरक्षित रूप से यात्रा, आधी रात में निकलने पर उन्हें कोई भय न हो इस सम्बन्ध में कोई नीति घोषित किये जाने।
5. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने।
6. विकसित राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को खड़ा करने के लिए अवस्थापना विकास का ढांचा बनाये जाने।
7. ग्राम-फनार से ग्राम-भूट मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
8. ग्राम-किस्तुड मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
9. उत्तराखण्ड की राजधानी के संबंध में कोई ठोस कदम उठाये जाने तथा राजधानी सभा आधुनिकतम व्यवस्थाओं से युक्त हो इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति घोषित किये जाने।
10. चार-घान यात्रा पूरे वर्ष चलाने, यात्राएँ सुरक्षित करने श्रद्धालुओं को सभी तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराने और प्रदेश की आर्थिकी बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
11. आपदा के दौरान जो कोई क्षेत्र बर्बाद हुए थे उन्हें पुनः बसाने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित किये जाने।
12. आपदा के दौरान जो गांव खाली हो चुके हैं उनके पुनर्वास के संबंध में कोई नीति बनाये जाने,
13. नदियों की सफाई, नदियों के किनारे सौन्दर्यीकरण तथा नदियों के समस्त क्षेत्रों का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में कोई नीति बनाये जाने,
14. जो जल स्रोत सूख चुके हैं उनको रिचार्ज करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
15. पत्रकारों को आवासीय सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कोई ठोस नीति बनाये जाने,
16. बी०पी०एल० वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क एम०आर०आई० तथा डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने,
17. विकसित राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को खड़ा करने के लिए अवस्थापना विकास का कोई ढांचा बनाये जाने,
18. प्रदेश के नये जनपदों के गठन की कार्यवाही तत्काल किये जाने,

19. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत कालसी, साहिया, चकराता एवं त्यूनी के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने,
20. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत बिन्सौण में स्वीकृत आश्रम पद्धति विद्यालय के अधूरे भवन को तत्काल पूर्ण किये जाने,
21. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत त्यूनी-कथियान अधूरे का बी० एम० एच० डी० बी० सी० से डामरीकरण किये जाने,
22. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत इन्टर कालेज मुन्धौल, कैराड़, खरोड़ा, बिन्सौण, काण्डोई भरम, व्यासपुर, कोरुव एवं मुब्बान के भवनों का निर्माण किये जाने,
23. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत साहिया में स्वीकृत पालिटेक्निक में अन्य ट्रेड तत्काल प्रारम्भ किये जाने,
24. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत हनोल-त्यूनी, त्यूनी-आरोकोट, त्यूनी-प्लासू जलविद्युत परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से शुरू किये जाने,
25. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम कोटी, ईच्छाडी में अस्पताल का निर्माण किये जाने तथा
26. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत लखवाड, पंजीटीलानी, कथियान व कुरोली में स्वीकृत आई०टी०आई० तत्काल इसी सत्र में प्रारम्भ किये जाने।
27. ग्राम-पुनाह पोखरी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
28. ग्राम-त्यूना मंगटाड मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
29. ग्राम-निनूस मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
30. ग्राम-पेनुवा मोटर मार्ग का विस्तार किये जाने,
31. ग्राम-मशक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
32. ग्राम-बाब्जोई के नीचे टैन्स नदी पर मोटर पुल का निर्माण किये जाने,
33. मीतस-अटल मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
34. ककनाई-दौहा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
35. दावापुर निण्डाल-खारसी मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
36. खांसी-जोगियो मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
37. कथियान-मुन्हाली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
38. डांगुव-पुरोला मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
39. त्यूनी-चांदनी मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
40. ग्राम-भगवत मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
41. ग्राम-बायला-सैंज मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

42. लालपुल-बिसोई मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
43. बियला-बिसोई से रिखाड़ दुंगरा मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने।

3. श्रीमती ममता राकेश

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए धन आवंटन किये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में भगवानपुर में महिला पालिटेक्निक खोले जाने,
4. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में भगवानपुर में ग्राम बहलपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर ग्राम चुड़ियाला मोहनपुर में स्थापित बाबू कलीराम राकेश डिग्री कालेज में स्नातकोत्तर की कक्षाओं को संचालित किये जाने,
6. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर में सी0एच0सी0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों की स्थाई रूप में नियुक्त किये जाने,
7. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स कालेज व स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
8. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गाँव में गौशाला खोले जाने,
9. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सिग्नल समस्या को देखते हुए मोबाईल टावर लगाये जाने,
10. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में स्व0 सुन्दर राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण के लिए धन आवंटित व अध्यापकों की स्थाई नियुक्ति किये जाने एवं प्रत्येक ग्राम में जिम सेन्टर बनाये जाने,
11. जनपद हरिद्वार के किसानों का बकाया भुगतान किये जाने,

12. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में डाक्टर भीम राव अम्बेडकर, संत श्री रविदास और महर्षि वाल्मिकी पार्कों के सौन्दर्यीकरण किये जाने,
13. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति उपयोजना से धनराशि स्वकृत कराये जाने व उसका उपयोग अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में किये जाने,
14. राज्य विधवा महिलाओं का उपचार निःशुल्क किये जाने,
15. राज्य में विधवा महिलाओं के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में आय प्रमाण की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने,
40. प्रदेश में स्मार्ट मीटर न लगाये जाने,
41. प्रदेश में किसानों को नलकूपों के लिए निःशुल्क बिजली प्रदान किये जाने,
42. प्रदेश में किसानों का विद्युत सरचार्ज माफ किये जाने,
43. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने,
44. जनपद हरिद्वार के राजकीय कन्या इण्टर कालेज इकबालपुर में कक्षा 9 व 10 की कक्षाओं का संचालन किये जाने,
45. जनपद हरिद्वार के विधान सभा भगवानपुर में हकीमपुर तुरा 2000 इण्टर कालेज के लिए हाल्लूमजरा में भवन निर्माण कराये जाने,
46. जनपद हरिद्वार के विधान सभा भगवानपुर के अन्तर्गत 2000 कालेज सिकरोद, 2000 इण्टर कालेज सिकरोद व 2000 इण्टर कालेज इकबालपुर के जीर्णोद्धार भवन का निर्माण कराये जाने,
47. जनपद हरिद्वार के विधान सभा भगवानपुर के अन्तर्गत भगवानपुर के सिकरोद तक सुदृढीकरण, चौड़ीकरण व डामरीकरण कराये जाने,
48. प्रदेश में नगरपालिका, नगर निगमों व नगर पंचायतों में कार्य करने वाले सफाईकर्मियों को नियमित किये जाने,
49. आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों में एस0सी0, एस0टी0 व ओ0बी0सी0को आरक्षण दिये जाने,
50. प्रदेश में बी0आर0सी0 व सी0आर0पी0 की भर्ती शुरू किये जाने व एस0सी, एस0टी0, ओ0बी0सी0 व दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किये जाने,

51. संत सिरोगणि गुरु रविदास जयंती का सार्वजनिक अवकाश कलैण्डर में घोषित किये जाने,
52. प्रदेश में प्रत्येक गांव में पूर्व में चल रही बोशालाओं को जीर्णोधार किये जाने,
53. मा० विधायकगणों के आवासों (विधायक हॉस्टल) की स्थिति सुधार लाये जाने,
54. जनपद हरिद्वार के विधानसभा भगवानपुर के सभी किसानों के खेतों तक चकरोड पर सी०सी० सड़क का निर्माण किये जाने,
55. प्रदेश में 2023 से दैवीय आपदा के अन्तर्गत दिये गये सभी कार्यों को बरसात से पूर्व किये जाने,
56. विधान सभा गैरसेन (भरडीसैन) भवन का नाम डॉ० बी०आर० अम्बेडकर जी के नाम पर रखे जाने,
57. प्रदेश में सभी औद्योगिक इकाईयों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने,
58. जनपद हरिद्वार के विधानसभा भगवानपुर में औद्योगिक क्षेत्र में ई०एस०आई० अस्पताल खोले जाने,
59. जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर में जर्जर विद्युत लाईनों को बदलकर नई विद्युत लाईन लगाये जाने,
60. प्रदेश में एस०सी०, एस०टी० व ओ०बी०सी० की छत्रपृति समय पर प्रदान किये जाने।

4. श्री हरीश सिंह धामी

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. धापा से साईंपोलो, गिनीबैण्ड से गिनीगांव, जोशा से गांधी नगर, धल्थी से बाता उम डांडा, वमन गांव से सेमली, खुलीबैण्ड से सरमोला, बांसबगड़ से पोखरी, क्वीटी से मोहरम, सेलवामी से जखी, सेलमाली से एस०सी० बस्ती दाखिम कुरवा, सेरा से सिलिंग खस्तोली, दारमा से आलन, भवानी से घटोड़ी मनकोट, चामी से मेलली कनार, लुमती से मल्ला लुमती, बरमबोगई से पातल, बलवाकोट से पोखरी, बलवाकोट से कांडा, बलवाकोट से थोड़ालेक, गलाती से कटौचिया, दरतेजम से यलदौंग, नारायण आश्रम से पस्ती, सिख्दांग से रूंग, नापड़ से नौड़ा सड़कों का निर्माण किये जाने,
2. राजकीय इंटर कालेज डोर, नाचनी, बगीचाबगड़, जोषा, उछेती, विरही, पन्द्रपाला, बांसबगड़, मुनस्यारी, खतेड़ा, भैंसकोट के भवन निर्माण किये जाने,

3. बालिका इंटर कालेज, नमजला, धारचूला, बीनाधार के भवन निर्माण किये जाने,
4. इंटर कालेज पय्यापोडी, स्याकुरी, खेत, जयकोट, मातम कैलाश, पंगला, पांगू का भवन निर्माण किये जाने,
5. माध्यमिक विद्यालय दर का निर्माण किये जाने,
6. जूनियर हाईस्कूल नामिक के भवन निर्माण किये जाने,
7. तहसील भवन बंगापानी, तेजम के भवन निर्माण किये जाने।
8. पं० नैन सिंह, बलाती साहसिक पर्यटन भवन के अधूरे भवन का निर्माण कार्य किये जाने,
9. मुनस्यारी से खलियादप रोपवे का निर्माण किया जाने,
10. ओम पर्वत से आदि कैलाश, होकरा देवी, भराड़ी और छिपला कोट को दारधाम योजना के तहत जोड़े जाने,
11. ओम पर्वत से आदि कैलाश, छिपला कोट, होकरा देवी, भराड़ी में पैदल रास्तों में पेयजल व्यवस्था, यात्री हट के निर्माण किये जाने,
12. आदि कैलाश, छिपला कोट, होकरा देवी एवं भराड़ी में नमामि गंगे की तर्ज पर स्नान घाटों का निर्माण किये जाने,
13. दास्मा, चौदास, व्यास मल्ला जौहार व रालम क्षेत्र को पैदल, पेयजल, व मोबाईल सेवा से जोड़े जाने उक्त में छः माह राशन सरकारी रेट पर अवमुक्त करवे एवं छः माह निःशुल्क हैली सेवा उपलब्ध कराये जाने,
14. धारचूला मुनस्यारी के समस्त विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने एवं प्रदेश के समस्त विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर एस०एस०बी० प्रशिक्षित गोरिल्लाओं को नियुक्ति दिये जाने,
15. पशु चिकित्सालय केंद्रों में पशु एवं पशुधन अधिकारी की नियुक्ति किये जाने,
16. विधानसभा धारचूला के समस्त अस्पतालों में चिकित्सक (पुरुष/महिला), फार्मासिस्ट, ए०एन०एम०, जी०एन०एम० की नियुक्ति किये जाने,
17. विधान सभा धारचूला के समस्त क्षेत्रों को मोबाईल नेटवर्क से जोड़े जाने,
18. बंगापानी व तेजम तहसील में स्थाई तहसीलदारों की नियुक्ति किये जाने,
19. धारचूला, मुनस्यारी के समस्त गांवों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त किये जाने,

20. तल्ला छरछूम से मल्ला छरछूम, चामी, लुंक्ती, छोड़ीबगड़, शेराघाट, मदकोट, सिरमोला, वाघनी, तेजम, बांसबगड़, दानीबगड़, बिखोरिया, धारचूला टाउन में आर्मी कैम्प में तटबन्ध निर्माण किये जाने,
21. मुनस्यारी के खलियाटाप में औली की तर्ज पर स्कोर्टिंग को बढ़ाया देने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने,
22. दारमा क्षेत्र के पंचाचुली बेस कैम्प में होम स्टे योजना आरम्भ किये जाने,
23. वर्ष 2018-19 की आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा व पुनर्निर्माण कार्य किये जाने,
24. लम्बित विद्युत परियोजना, एन0एच0पी0सी0, टी0एच0डी0सी0, एन0टी0पी0सी0 को पूर्ण किये जाने,
25. धारचूला के दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों को अतिरिक्त हाई एटिट्यूट भत्ता एवं उनके परिजनों को शहरी क्षेत्र में आवास सुविधा प्रदान किये जाने,
26. गूंजी, दारमा, चौदास, रलम, चौहान क्षेत्र में नियुक्त पुलिस के जवानों को सेना की तरह अतिरिक्त भत्ते दिये जाने,
27. मुनस्यारी में मिनी टैक्सटाइल पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,
28. नगर पालिका धारचूला में ग्याल गांव को सीवर लाईन से जोड़े जाने,
29. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पोखरी सड़क का निर्माण किये जाने,
30. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कांडा बलुवाकोट सड़क का निर्माण किये जाने,
31. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट भोड़ा लेक सड़क का निर्माण किये जाने,
32. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में धारचूला से राँभी सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,
33. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पय्यापौड़ी सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,
34. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कन्जोती से सुवा तक सड़क का निर्माण किये जाने,
35. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से परती तक सड़क का निर्माण किये जाने,

36. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बरम से कनार तक सड़क का निर्माण किये जाने,
37. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में चामी, मेतली, खेतीखान, देवलेख, धरपट्टा सड़कों के निर्माण किये जाने,
38. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में लुमती से धरुड़ी मनकोट, बघोला तक सड़क का निर्माण किये जाने,
39. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सैरा से सिलिंग खड़तोली सड़क का निर्माण किये जाने,
40. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में आलम दारमा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
41. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भवानी से मदरपा होते हुए धानी गांव तक सड़क का निर्माण किये जाने,
42. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सेराघात से गोल्फा बोना मोटर मार्ग में पुलों के निर्माण किये जाने,
43. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में दानीबगड़ में टांगा, भिकरिया के लिए पुलों का निर्माण किये जाने,
44. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में फापा से उच्छैती तक सड़क निर्माण किये जाने,
45. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में उच्छैती से ब्रिमबिमिया मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
46. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कपीरीथिमिपा साईपोलो, साईधुत तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
47. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
48. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बल्थी से वाता उमडाणा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
49. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मदकोट से रोपाइ तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
50. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में रिंपू ग्राम सथा में ओखली और स्पलतिंग सड़क का निर्माण कार्य किये जाने,
51. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मानीटुण्डी में आंतरिक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

52. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भदेली से मल्ला भदेली सड़क मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,
53. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में चौना मालपाती भराड़ी मंदिर पापड़ी मोटर मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,
54. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में गिनीदैंण्ड से गिनीगांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
55. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में विरथी से दाफा सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
56. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सैरणामी से बरथी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
57. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कपीटी से सैमली सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
58. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में डोर से रुइसपाता सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
59. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में तेजम से नोटगांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
60. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैंसकोट से छेतगाड़ी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
61. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैंसकोट से दुधधड़ तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
62. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैंसकोट से बसानी तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
63. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में तोला भैंसकोट से तल्ला भैंसकोट तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
64. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में राया बफेता सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
65. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सेलमाली से कुरवा तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
66. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सीड़ीचामा क्षेत्र में आंतरिक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
67. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में लीती से नाभिक सड़क व पुल निर्माण कार्य किये जाने,

68. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के तहसील धारचूला, तहसील बंगापानी, तहसील मुनस्यारी तहसील तेजम के समस्त आपदा प्रभावितों के लिए राहत राशि व पुनर्वास की व्यवस्था किये जाने,
69. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सामुदायिक केन्द्रों में चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति किये जाने,
70. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने,
71. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विद्यालयों के भवन निर्माण किये जाने हेतु धन की व्यवस्था किये जाने,
72. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पेयजल की सुचारु व्यवस्था किये जाने,
73. पर्यटक क्षेत्र धारचूला के पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
74. आदि कैलाश तथा ओम पर्वत जैसे आस्था के केन्द्रों हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
75. आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
76. प्रसिद्ध आलू उत्पादक क्षेत्र (बंगातीफर्म) के लिए धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
77. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में माईकेट ग्राम क्षेत्र रलम के लिए पैदल रास्ते व पुल निर्माण किये जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
78. नेटवर्क से वंचित समस्त विधान सभा क्षेत्र को नेटवर्क से जोड़ने हेतु धन की व्यवस्था किये जाने,
79. जाराजबली से मेलती मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
80. बलुवाकोट से धौडालेख मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
81. मुनस्यारी में पूर्ववर्ती सरकार में निर्माणाधीन मिनी टेक्सटाईल पार्क का निर्माण किये जाने,
82. मुनस्यारी में हाईट्यूट पं० नैन सिंह कालेज का निर्माण किये जाने,
83. मुनस्यारी में इंटर कालेज तथा महाविद्यालयों में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
84. तल्ला जौहार में तेजम हस्पिटल का निर्माण किये जाने,
85. तल्ला जौहार में तहसील भवन का निर्माण किये जाने,

86. तल्ला जौहार में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
87. बांसबगड़ में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किये जाने,
88. कालिका में क्रीड़ा स्थल का निर्माण किये जाने,
89. धारदूला इंटर कालेज में हेलीपैड व स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
90. धारदूला रास्ते के सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,
91. तेजम में क्रीड़ा स्थल का निर्माण किये जाने,
92. बांसबगड़ में क्रीड़ा स्थल का निर्माण किये जाने,
93. धामी गांव से बंगापाही तक सड़क निर्माण किये जाने,
94. छरमाघाटी से सेला, वल, बौना, बाऊनी, गो, मारछ, छीपू को सड़क से जोड़ने का कार्य किये जाने,
95. व्यासघाटी में रौंग-फौंग को सड़क से जोड़ने का कार्य किये जाने,
96. धार्मिक स्थल आदि कैलाश में पार्वती सरोवर और गौरीकुण्ड का सौन्दर्यीकरण का कार्य किये जाने,
97. ओम पर्वत दर्शन हेतु मार्ग निर्माण किये जाने,
98. होकरा में मंदिर स्थल सौन्दर्यीकरण का कार्य किये जाने,
99. धारदूला में गलाती से धार्मिक स्थल छिन्नाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,
100. स्यास्कुटी से छिन्नाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,,
101. गलाती से छिन्नाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,,
102. कबार से छिन्नाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,,
103. जाराजिबली से छिन्नाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,,
104. खेतजन्कू से छिन्नाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,
105. खड़तोली से श्रद्धालुओं हेतु इन उक्त समस्त गांवों में पैदल मार्ग, पेयजल की व्यवस्था एवं यात्री टिन शेड का निर्माण कार्य किये जाने,,
106. बिरथी गिरगांव, गिनी, ला शेक्ला, सैक्याही, किमखेत, बाला के समस्त श्रद्धालुओं हेतु नन्दा कुंड तक पैदल पथ, यात्री शैड एवं पेयजल की व्यवस्था का कार्य किये जाने,,
107. सैमली, रुसपट्टा, बोरागांव, होकरा से जर्थी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,,
108. कुलडौरी से रुसपट्टा तक तटबन्ध एवं सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

109. बंगापानी में तहसील भवन एवं स्टेडियम का निर्माण कार्य किये जाने,
110. राखी चौड़ागांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
111. आपदा प्रभावितों परिवार जो कि एक ही घर में कई परिवार गुजर-बसर कर रहे थे को पृथक-पृथक पुनर्वासित किये जाने,
112. नामिक में स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किये जाने,
113. नामिक, मल्ला जौहार, कनार, दारमा, चौदास, व्यास, नामिक, रालम जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के समय निःशुल्क हैली सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु,
114. सुरिण गाड़ और तल्ला धुम्मर में तटबंध निर्माण किये जाने,
115. भदेली, मदकोट, शेरा, शेराघाट, बंगापानी, घरुड़ी, मनकोट, मोरी लम्ती, घामी, जौलजीवी, घट्टा बगड़, बलुवाकोट, धारचूला, गर्वियांग, तेम, सोबला, बांसबकड़, नाघनी, रसियाबगड़, रुसपट्टा, तेजम में तटबंधों का निर्माण किये जाने,
116. पूर्ववर्ती सरकारों में उच्चकृत समस्त विद्यालयों में पठन पाठन को सुचारु किये जाने,
117. पूर्ववर्ती सरकारों में मदकोट व तेजम में उच्चकृत सामुदायिक केन्द्रों के सुचारु संचालन किये जाने,
118. बसौड़ा से खुन्गी तक सड़क निर्माण कर जोड़ने का कार्य किये जाने,
119. बसौड़ा से कालिका गोरी धूरा सड़क को जोड़ने का कार्य किये जाने,
120. दक्खिम से माडी धामी होते हुए आलम दारमा, बंगापानी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
121. गौना से गोल्फ मोतीछट सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
122. बलुवाकोट पोखरी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
123. मूर्ति नापड़ से सीढ़ी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,
124. होकरा में क्रीड़ा स्थल निर्माण कार्य किये जाने,
125. सैणरांथी-किमखेत के मध्य क्रीड़ा स्थल निर्माण कार्य किये जाने।

5. श्री आदेश सिंह चौहान

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना किये जाने,
2. नादेही धुगर मिल में एथेनाल प्लांट की स्थापना किये जाने,
3. जसपुर में पालिटेक्निक कालेज की स्थापना किये जाने,
4. नगर पालिका जसपुर में स्टेडियम तथा ग्राम करनपुर में मिनी स्टेडियम की स्थापना किये जाने,
5. तीस्यनगर डाम क्षेत्र के राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,
6. ग्राम किशनपुर में पूरनपुर में फीका नदी का तटबन्ध और ग्राम बैतवाला व बगवाड़ा में डेला नदी का तटबन्ध बनाये जाने,
7. जिम कार्बेट पार्क का एक आवागमन द्वारा जसपुर से पमरामपुर रेन्ज खोले जाने,
8. जसपुर नगर पालिका का ट्रेनिंग झोण्ड बनाये जाने,
9. जसपुर में तीस्यनगर मंदिर और तुमड़िया डाम का सान्दर्भिकरण किये जाने,
10. जसपुर विधान सभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण किये जाने,
11. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में अधूरे तहसील भवन को पूर्ण किये जाने,
12. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में उप-जिलाधिकारी भवन निर्माण किये जाने,
13. जसपुर विधान सभा क्षेत्र सरकारी स्कूलों के क्षतिग्रस्त भवनों को निर्माण किये जाने।
14. जसपुर नगर पालिका में सीवर लाईन की व्यवस्था किये जाने।
15. जसपुर नगर पालिका में पेयजल व्यवस्था को ठीक किये जाने व पेयजल व्यवस्था का द्वितीय फेज आरम्भ किये जाने,
16. विधान सभा क्षेत्र जसपुर के ग्राम सीपका वासियों को उनकी कृषि भूमि पर मालिकाना हक दिये जाने।
17. विधानसभा क्षेत्र जसपुर में सिविल न्यायालय भवन का निर्माण किये जाने,
18. राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोले जाने,
19. जसपुर विधान सभा में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना की किये जाने,
20. राज्य में नये जनपदों के गठन की कार्यवाही करते हुए काशीपुर को जिला बनाये जाने,

21. जसपुर विधान सभा में शमशान घाट व कब्रिस्तान की चाहर दीवारी बनाये जाने,
22. विधान सभा क्षेत्र जसपुर में गौशाला के निर्माण किये जाने,
23. मदरसा बोर्ड में मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची में शामिल किये जाने।

6. श्री मनोज तिवारी,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. अल्मोड़ा विधान सभा के लोघिया में फूड काफ्ट इंस्टिट्यूट में कक्षाओं का संचालन किये जाने,
2. अल्मोड़ा में स्पोर्ट्स कालेज स्वीकृत किये जाने,
3. जनपद अल्मोड़ा विधान में पर्यटन को बढ़ाने की दृष्टि से मल्ला महल, कसारदेवी, बाबडीदेवी, स्याही देवी रोप-वे की स्वीकृति दिये जाने,
4. अल्मोड़ा विधान सभा में इंजीनियरिंग कालेज स्वीकृत किये जाने,
5. अल्मोड़ा विधान सभा को नगर को हैस्टेज सीटी घोषित किये जाने,
6. अल्मोड़ा विधान सभा का विस्तार होने के कारण सिटी बस तत्काल संचालित किये जाने,
7. अल्मोड़ा विधान सभा के विकास खण्ड भैसियाछना के रीठागाड़ में डिग्री कालेज की स्वीकृति दिये जाने,
8. अल्मोड़ा विधान सभा के बाड़ेछीना में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण किये जाने,
9. अल्मोड़ा विधान सभा के विकासखण्ड लमगाड़ा के ग्राम दैरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
10. अल्मोड़ा विधान सभा के विकासखण्ड भैसियाछना के धौलाछीना में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
11. अल्मोड़ा विधान सभा के विकास खण्ड भैसियाछना के बाड़ेछीना में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
12. अल्मोड़ा विधान सभा के हवालबाग ब्लॉक के समीप मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
13. अल्मोड़ा विधान सभा के हवालबाग क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु मिनी उद्योग का निर्माण किये जाने,
14. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त आईटीआई संस्थान को मैदान क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के साथ समन्वय करते हुए संचालित किये जाने,
15. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड भैसियाछना के बाड़ेछीना पालिटैक्निक नई कक्षाएँ संचालित किये जाने,
16. अल्मोड़ा विधान सभा के आईटीआई धौलाछीना नये ट्रेड खोले जाने,

17. अल्मोड़ा विधान सभा के कसारदेवी को पर्यटन के साथ-साथ आध्यात्मिक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने,
18. अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में योग शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु योग संस्थान की स्थापना किये जाने,
19. अल्मोड़ा विधान सभा उदया शंकर नाट्य आकादमी को पूर्णरूप से संचालित किये जाने,
20. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड भैसियाछना नौगांव में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
21. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के वि०ख० लमगडा के हाईस्कूल बौटा का उच्चीकरण किये जाने,
22. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के वि०ख० हवालबाग के ग्राम खूट के पनीर प्लाट जो पूर्व में स्वीकृत था उसका संचालन किये जाने,
23. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के वि०ख० हवालबाग के ग्राम खूट में दनकालीन प्रशिक्षण केन्द्र को पुनः संचालित किये जाने,
24. अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त किया जाय,
25. विकासखण्ड हवालबाग के मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम पतलिया मोटर मार्ग की स्वीकृति किये जाने,
26. विकासखण्ड हवालबाग के ग्राम डटवाल गांव से सुयालबाड़ी तक मोटर मार्ग एवं मोटर पुल की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
27. विकासखण्ड हवालबाग के स्याहीदेवी से शीतलाखेत तक मोटर मार्ग पार्ट-2 एवं सुधारीकरण एवं डामरीकरण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
28. विकासखण्ड हवालबाग के तिवाड़ीखान से ग्राम-माट तक पार्ट-2, सुधारीकरण एवं डामरीकरण कर मोटर मार्ग का निर्माण कराये जाने
29. अल्मोड़ा कोसी बैराज के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ओपन जिम, बच्चों के लिए पार्क, पार्किंग, कैन्टीन की व्यवस्था किये जाने,
30. अल्मोड़ा के पपरसैली में ईको पार्क को विकसित किये जाने,
31. विकासखण्ड हवालबाग मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम दौन-डाल मोटर मार्ग के स्वीकृति,
32. विकासखण्ड हवालबाग के ग्राम स्यूटा से ग्राम-बाटीनी मोटर मार्ग के स्वीकृति प्रदान किये जाने,
33. विकासखण्ड हवालबाग के ग्राम-कुज्याड़ी से ग्राम-बस गांव मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
34. विकासखण्ड हवालबाग के ग्राम दिलकोट से ग्राम बल्सा तक मोटर मार्ग एवं मोटर पुल की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
35. विकासखण्ड भैसियाछना के ग्राम नौगांव से कनारीछना तक मोटर पुल एवं पार्ट-2 एवं सुधारीकरण एवं डामरीकरण किये जाने,
36. विकासखण्ड भैसियाछना के ग्राम-कुब्जा से गैराड़ तक मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जाने

37. विकासखण्ड भैसियाछना के ग्राम-सल्ला से ग्राम-तैणी तक मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
38. विकासखण्ड भैसियाछना के कनारीछीना से ग्राम-पतलचौद तक मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
39. विकासखण्ड भैसियाछना के धौलछीना से पनेट-पत्थरखानी वृद्ध जागेश्वर मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जाने।

7. श्री भुवन कापड़ी

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. सीमांत विधान सभा में सरकारी भूमि में निवासरत लोगों की पूर्वजों द्वारा मेहनत कर बंजर भूमि को कृषि योग्य एवं आवास योग्य बनाया गया है जिससे उक्त भूमि सदुपयोग हो सकी ऐसे उक्त सरकारी भूमि पर निवासरत/कच्चा धारकों को भूमि पर मालिकाना हक दिये जाने,
2. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा पुरानी तहसील परिषद में बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर जन कल्याण समिति खटीमा को भूमि का आवंटन किया गया था जिसको बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया गया। उक्त भूमि आवंटन पुनः बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर जन समिति कल्याण को किये जाने।
3. उत्तराखण्ड की भौगोलिक सीमाओं को अन्दर निवासरत ऐसे परिवार को जो कि उत्तराखण्ड बनाने के समय से स्थायी रूप से निवासरत हैं। जो जाति प्रमाण पत्र कट आफ डेट में छूट प्रदान कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था तत्काल प्रभावी किये जाने।
4. उत्तराखण्ड में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा गैस सिलेण्डर, पेट्रोल, डीजल पर सब्सिडी प्रदान की जाये जाने उत्तराखण्ड के लोगों को कम दामों पर गैस सिलेण्डर, पेट्रोल, डीजल दिये जाने,
5. राशन कार्ड आनलाईन होने की दिक्कतों के कारण अनेक परिवारों के पुराने राशन कार्ड आनलाईन नहीं हो पाये हैं। उक्त पुराने राशन कार्ड धारकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुचारु किये जाने।
6. 70 खटीमा विधान सभा अनुसूचित जाति/अनु०जन बाहुल्य विधान सभा है और उसके साथ-साथ सीमांत विधान सभा होने के कारण 70 खटीमा में अनुसूचित जन जाति विकास, अनु०जन०जाति विकास एवं वार्डर इक्लेपमेन्ट योजन के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था कर विकास कार्यों प्रारम्भ किये जाने।
7. सक्रिय राज्य आन्दोलन कार्यों चिन्नीकरण के दौरान लम्बित 254 आन्दोलन कार्यों को तत्काल परिचय पत्र जारी कर उनको पेंशन की सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने।

8. ग्राम बन्धा-54 को राज्य ग्राम घोषित किये जाने।
9. अल्पसंख्यक भौगोलिक क्षेत्रों में अल्पसंख्यक कल्याण नीति से विकास कार्य किये जाने।
10. महाविद्यालय स्तरों पर विभिन्न विषयों पर सीटें बढ़ाई जाय एवं महाविद्यालय में पूर्व की भांति प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था को लागू किये जाने जिससे कि गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा का लाभ दिये जाने,
11. स्तरों विधान सभा के अन्तर्गत सरकारी गेहूँ तोल केंद्रों पर तोल प्रारम्भ कार्यवाही कराई जाने एवं तोल केंद्रों पर सी0सी0टी0कैमरों की व्यवस्था एवं किसानों की फसल के मूल्य का भुगतान 02 दिन के अन्तर्गत दिया जाना सुनिश्चित किये जाने।
12. किसानों को गन्ने के बकाया पैसों का तत्काल भुगतान किये जाने।
13. गौशाला के निर्माण तत्काल पूर्ण करवाये जाने जिससे कि किसानों की फसल बर्बाद होने से बचाये जाने,
14. अधोषित विद्युत कटौती की तत्काल बंद कर बिजली के दामों को कम किये जाने,
15. राजकीय पौलिटैक्नीक स्तरों पर विषय की सीटें बढ़ाई जाये।
16. विधान सभा स्तरों के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग में पुनः निर्माण/निर्माण कराये जाने।
17. नगरीय क्षेत्र में आवादी के मध्य गुजर रही हाईटैक्शन लेनों को मैन रोडों पर स्थानान्तरण किये जाने एवं गलियों में छोट ट्रांसफार्मर लगा कर विद्युत आपूर्ति किये जाने।
18. नगर स्तरों के लीज नवीनीकरण/लीज दाखिल खारिज लीज विरासतन की प्रक्रिया सरलीकरण किया जाय एवं लीज संबंधी समस्त प्रकार के कार्यों उपस्थिति उप जिलाधिकारी स्तर पर पूर्ण कराये जाने,
19. स्तरों शहर में सीवर लाईन का निर्माण कार्य कराये जाने,
20. राजकीय महाविद्यालय स्तरों में रोजगारपत्रक विषयों को प्रारम्भ किये जाने,
21. नगरपालिका परिषद स्तरों के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग में पुनः निर्माण/निर्माण कराये जाने,
22. विधान सभा स्तरों के अन्तर्गत नलकूपों की स्थापना किये जाने,
23. विधान सभा स्तरों के अन्तर्गत 2000 हैण्ड पम्पों को लगवाये जाने,
24. विधान सभा स्तरों के अन्तर्गत महिलाओं के लिए पालिटैक्निक खोले जाये,
25. विधान सभा स्तरों के अन्तर्गत बाढ़ से बचाव के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर तत्काल कार्य प्रभाव प्रारम्भ कराये जाने,
26. नगर पालिका परिषद को कुछ कलैक्शन के लिए 20 छोटे वाहन उपलब्ध कराये जाने,

27. नगर खटीमा में टर्निंग ग्राउण्ड को तत्काल प्रारम्भ कराये जाने,
28. कूड़े के निस्तारण के लिए रिसाईकलिंग प्लान्ट लगाये जाने,
29. खटीमा के गरीब वर्ग के अनु०जाति, अनु०जनजाति/सामान्य वर्ग/पि०जाति के गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग खुलवाये जाने।
30. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत व खत्तों वन में रहने वाले परिवार का पुर्नवास कर उनके लिए आवास फ्री शिक्षा व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलवाये जाने।
31. शहर खटीमा में प्रत्येक घर में निशुल्क जल संयोजन दिलाये जाने।
32. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत मच्छरों के प्रकोप बिकनगुनिया डेंगू मच्छरों से निजात पाने के लिए उचित कार्यवाही किये जाने।
33. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में लम्बित निर्माण कार्य विकास कार्यो को तत्काल पूर्ण करवाये जाने के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष को निर्देशित कर कार्य को तत्काल पूर्ण करने का आदेश दिये जाने,
34. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने,
35. विधान सभा खटीमा के जिला स्तर के विभिन्न कार्यो में प्रत्येक सप्ताह खटीमा में कैम्प लगाकर पूर्ण कराये जाने,
36. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत दूरस्थ ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में तत्काल ए०एन०एम० सेन्टर खोले जाने,
37. राज्य में विधवा/वृद्धा/विकलांग पेंशन के लिए आय का मानक 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपये किये जाने,
38. विधान सभा खटीमा के स्थित बाढ़ के समय के बढ़ते जलस्तर को रोकने व मिट्टी कटान को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाये जाकर कार्य प्रारम्भ किये जाने,
39. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत स्थित मंदिरों की चार दीवारी एवं मंदिरों में सौन्दर्यकरण किये जाने,
40. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत सितारगंज रोड़ से जरासू प्रतापपुर जाने वाली मैन रोड का नाम गुरु तेगबहादुर रखे जाने हेतु संबंधित विभाग को कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव मांगा जाए एवं रोड़ का नाम गुरुतेगबहादुर रोड़ रखे जाने,
41. नगर सीमा के अन्दर निवासरत भूतपूर्व सैनिक शहीद उत्तराखण्ड आन्दोलन के परिजन सहित सैनिक राज्य आन्दोलनकारी के परिवार पर लगने वाले गृह कर पूर्णतया समाप्त किये जाने,

42. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत स्थित रा0प्रा0वि0 एवं विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों को रिक्त पद एवं उक्त विद्यालयों में शौचालयों में पीने के लिए स्वच्छ पानी आदि की व्यवस्था कर प्रत्येक विद्यालय में प्राप्त भवनों का निर्माण कराये जाने,
43. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत गरीब परिवारों का बिजली का बिल माफ किये जाने,
44. नागरिक चिकित्सालय खटीमा में पार्किंग शुल्क समाप्त किये जाने,
45. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत पहेनिया टोल प्लाजा खटीमा के लोगों को टोल फ्री में मुक्त किये जाने,
46. विधान सभा खटीमा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध कराये जाने,
47. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के नाम पर उनके गांव की रोड़ का नाम उनके नाम पर उक्त गांव में विशेष कार्ययोजना बनाकर विकास कार्य कराये जाने,
48. माँ पूर्णागिरी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिये रैन बसेरे का निर्माण कराये जाने।
49. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत आगनवाड़ी भवनों का निर्माण कराये जाने,
50. वन चेतना मैदान में स्वीकृति स्टेडियम को तत्काल प्रारम्भ किये जाने,
51. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत भारतीय सेना की तैयारी कर रहे युवकों के लिए व्याय पंचायत स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,
52. विधान सभा खटीमा में केन्द्रपोषित जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रारम्भ कराये जाने।

8. श्री विक्रम सिंह नेगी,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत फिकवाल समुदाय को केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किये जाने,
2. जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में स्वीकृति राजीव गांधी आवासीय विद्यालय को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने व संचालन प्रारम्भ किये जाने।
3. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जाख से डोयरापुल से लम्बगांव को सड़क डबल लेन चौड़ीकरण एवं हाटमिक्स डामरीकरण किये जाने।

4. हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखण्ड में भी सख्त भू-कानून लागू किये जाने।
5. जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत जखिण्डा में 1100 नाली भूमि पर स्वीकृत वानिकी औद्योगिक विश्वविद्यालय के परिसर का भवन निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण किये जाने।
6. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत प्रतापनगर में वानिकी औद्योगिक विश्वविद्यालय के शोध प्रसार केन्द्र के भवन निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण किये जाने।
7. जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत उत्तरद्वारिका सेम नागराजा धाम के पैदल पथ पर कैनोपी निर्माण एवं पर्यटन विकास कार्य करने के साथ सेम नागराजा धाम को उत्तराखण्ड का पांचवा धाम बनाये जाने।
8. टिहरी बांध की झील में विश्वस्तरीय पर्यटन विकास कार्य किये जाने,
9. टिहरी बांध की झील में अधिकतम प्रभावित प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र में झील के ऊपर स्थित ग्राम म्यूण्ड से मोटगा तक पर्यटन विकास कार्य किये जाने, 10. प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रसिद्ध खैट पर्वत हेतु रोपवे निर्माण किये जाने,
11. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत राजखेत, लम्बांव एवं खेतुधार में हेलीपैड निर्माण किये जाने,
12. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के ग्राम पाचरी एवं सेमण्डीधार में अर्द्धनिर्मित स्टेडियमों के लिए शेष धनराशि स्वीकृत किये जाने,
13. प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र के बाल्याखाल से ठंगधार तक सड़क निर्माण किये जाने,
14. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत जीटीपी सड़क से जखिण्डा तक सड़क निर्माण के लिए शेष धनराशि का आवंटन किये जाने,
15. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत पीपलडाली पुल से म्यूण्डा मय लवाली तक सड़क के रिवाइज स्टीमेट की स्वीकृति दिये जाने,
16. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रिण्डोल ससे धारकोट वाली सड़क का डामरीकरण किये जाने,

17. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव -विजपुर परियाला सड़क के काण्डा - जिवाल रावल गांव तक सड़क निर्माण किए जाने ,
- 18 . विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मांजफ - मंदार सड़क का डामीकरण किये जाने,
19. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मुखमालगांव-सिलोड़ा-सौंदी सड़क निर्माण किये जाने,
20. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खराला से धंगणगांव तक सड़क निर्माण किये जाने,
21. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रैंका से सदड़गांव तक सड़क निर्माण किये जाने,
22. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खम्बाखाल-मुखमालगांव-सिलोड़ा सड़क निर्माण कराये जाने,
23. जगड़गांव पट्टी गमरी उत्तरकाशी से किमखेत-बिजबागी (टि0ग0) तक सड़क निर्माण कराया जाने,
24. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सौन्दगडडा से चाका-सिलोड सड़क के द्वितीय चरण की स्वीकृति किये जाने,
25. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मणबागी सौड़ से माजरेभाल तक सड़क निर्माण कराये जाय,
26. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रज्जौगाड-क्यूलागी सड़क के किमी0 04 से बोरगांव तक सड़क का निर्माण कराया जाय,
27. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत गादडी से धौलधार तक सड़क निर्माण कराये जाय,
28. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सिस्खोली गोदडी सड़क से बेघाण तक सड़क निर्माण कराये जाने,
29. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत काण्डा प्रतापनगर सड़क से धनागांव-खुडडु-राजू की सारी से लाडा देयता तक सड़क निर्माण कराये जाने,

30. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खिट्टा में वनिकी औद्योगिकी विश्वविद्यालय का कृषि ज्ञान केन्द्र स्वीकृति कराये जाने,
31. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव आईटीआई के भवन निर्माण हेतु शेष धनराशि स्वीकृत एवं कक्षाएँ शुरू कराये जाने,
32. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत स्यान्सू पुल से बैलगांव सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
33. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत डोबरा पुल में स्वीकृत अस्पताल का भवन निर्माण कराये जाने,
34. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सीएचसी लम्बगांव, सीएचसी प्रतापनगर, सीएचसी मदनवेगी एवं रजाखेतु सेमण्डीधार, काण्डीधारख काण्डीखल एवं डोबरा अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड एक्सरे मशीन पैथालोजी लैब सुविधा के साथ टैक्निशियन, स्वास्थ्य कर्मी, एवं डाक्टरों से सुविधायुक्त अस्पताल बनाने,
35. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सभी स्कूलों एवं कालेजों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को शीघ्र भरने,
36. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव-प्रतापनगर सड़क पर स्थित घनी जनसंख्या बाहुल्य कस्बे रमोलगांव, मांजफ, बनाली पट्टी धारकोट में मल्टीस्टोरी पार्किंग कराये जाने,
37. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत डुंग-पुजारगांव सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
38. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कस्तल-भटवाडा-सेमण्डीधार तक सड़क निर्माण कराये जाने,
39. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मंदार-मांजफ सड़क से देवताधार-दुग्गहिया-भेगल्य तक सड़क निर्माण कराये जाने,
40. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मन्दार घोल्डाणी सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
41. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रा0इ0का0 मन्दार तक सड़क निर्माण कराये जाने,

42. कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना लागू कराये जाने,
43. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए नियम सुलभ करने एवं अधिक सब्सिडी प्रदान कराये जाने
44. उत्तराखण्ड में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत निजी ठेकेदारों के माध्यम से आउटसोर्स किये गये कर्मियों को संविदा उपबल/हैण्ड लशीद के माध्यम से सेवायोजित कराये जाने,
45. प्रतापनगर विधान सभा के अन्तर्गत मांजफ-मंदार कोटलगांव-तिनवालगांव लासी-सेम्य चौबडाणा-खैट सड़क का लम्बित मुआवजा भुगतान किये जाने,
46. प्रतापनगर विधान सभा के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय नई टिहरी जिला मुख्यालय तक बस सेवा शुरू कराये जाने,
47. प्रतापनगर विधान सभा के अन्तर्गत पेयजल सुविधा हेतु स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु ठेस कार्य योजना बनाने,
48. प्रतापनगर विधान सभा के अन्तर्गत उपली रमोली एवं रौणद रमोली के मध्य विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने,
49. उत्तराखण्ड प्रदेश में स्थायी एवं संविदा कर्मियों की वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने,
50. प्रतापनगर में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय के निर्माण किये जाने ?
51. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत आई.टी.आई. लम्बगांव के भवन के स्वीकृति प्रदान किये जाने,
52. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत जल संरक्षण एंजल संवर्धन हेतु स्वीकृति पदान किये जाने

निम्नलिखित स्वानों पर जल संरक्षण एवं जल हेतु वर्षा जल तालाब निर्माण किये जाने- ?

- (1) रा0इ0का0 धारकोट के ऊपर नदौड वि0ख0 जाखणीधार,
- (2) खैट एवं पीडी के बीच लवाना वि0ख0 जाखणीधार।

- (3) छैट पर्वत वि०ख० जाखणीधार।
- (4) धारकोट के ऊपर जगदेई पाणी वि०ख० जाखणीधार।
- (5) ग्राम मांजफ के ऊपर नैलाण बीट, वि०ख० प्रतापनगर।
- (6) ग्राम मंदार के ऊपर भैगल्य वि०ख० जाखणीधार।
- (7) ग्राम कुडी के ऊपर नाल्य वि०ख० प्रतापनगर।
- (8) सेन नागराजा धाम के समीप मणबागी सौड़ वि०ख० प्रतापनगर।
- (9) ग्राम जाखणी के ऊपर खरोली सौड़ वि०ख० प्रतापनगर।
- (10) ग्राम सेलूर के आंगन वि०ख० थौलधार।
- (11) ग्राम ओनालगांव एवं रौणिया के ऊपर कुजु सौड़ वि०ख० प्रतापनगर।
- (12) दिनयाली देवी वि०ख० प्रतापनगर।
- (13) ग्राम पोखरी भदूर के ऊपर अखोडी वि०ख० प्रतापनगर।
- (14) ग्राम कोटी में तेघरिया वि०ख० जाखणीधार।
- (15) ग्राम दुंग वि०ख० जाखणीधार।
- (16) ग्राम कंगसाली वि०ख० प्रतापनगर।

53. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के प्रतापनगर, जाखणीधार एवं थौलधार विकास खण्डों में सासेलर लाईट की स्वीकृति दिये जाने,

54. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में हाईमास्क सोलर लाइट स्वीकृति दिये जाने,

55. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर विकास खण्ड प्रतापनगर, जाखणीधार, थौलधार फर्नीचर हेतु स्वीकृति दिये जाने

निम्नलिखित स्कूलों में फर्नीचर की स्वीकृति दिये जाने

वि०ख० प्रतापनगर के अन्तर्गत

- (1) स०इ०ख० रौणद रमोली,

- (2) रा०उ०मा०वि० रौणद रमोली,
- (3) रा०उ०मा०वि० कोरदी,
- (4) रा०इ०का० थापला औण,
- (5) रा०इ०का० मिश्रवाणगांव,
- (6) इ०का० मांजफ,
- (7) रा०इ०का० ओखलाखल,
- (8) रा०इ०का० गालुडधार,
- (9) रा०इ०का० दीनगांव,
- (10) रा०उ०मा०वि० वैल्डोगी,
- (11) रा०उ०मा०वि० वैल्डोगी,
- (12) रा०उ०मा०वि० सौन्दी,
- (13) शहीद श्रीदेव सुमन पूर्व मा०वि० रौणिया,
- (14) रा०इ०का० गल्याखेत,
- (15) इ०का० कोटालगांव,

वि.ख. जाखणीघार के अन्तर्गत

- (1) रा०इ०का० कोपडधार,
- (2) रा०इ०का० दुंग,
- (3) रा०इ०का० सेमन्डीधार,
- (4) रा०इ०का० मंदार,
- (5) रा०इ०का० वीरेन्द्र कोट,
- (6) रा०इ०का० कफलोग।

वि.सू. थौलघार

(1) स0इ0का0 भलिडयाना।

56. मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा संख्या - 340/2020 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में मोटना-मदननेगी मोटर मार्ग के बेलम बिट्ट से उपरी पडिया तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,

57. मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा संख्या- 975/2021 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में प्रतापनगर बैण्ड धनागांव से होनपाट से तिमल्यासौड-मिश्रवाण गांव तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,

58. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत इ0का0 थौलघार मांजफ का प्रान्तीयकरण किये जाने,

59. उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष शीघ्र ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आयोजित किये जाने,

60. एस. सी.पी के अन्तर्गत विधान सभा प्रतापनगर के अन्तर्गतदुंग खबोगी (अम्बेडकर) मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य। (प्रथम चरण) प्रारम्भ किये जाने

61. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा प्रतापनगर के अन्तर्गत जाखणीधार बरिल झिवाली मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य किये जाने,

62. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा प्रतापनगर में रिण्डोल धारकोट मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य किये जाने,

63. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा प्रतापनगर के तेलुंगा (मांजफ) धोल्यानी मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य। (प्रथम चरण) प्रारम्भ किये जाने,

64. विधान सभा प्रतापनगर काण्डाखाल-छेरपधार (बसेली से काण्डाखाल) मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य किये जाने,

65. राज्य योजना के अन्तर्गत गैरी हलेथ सिलारी मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य किये जाने,

66. राज्य योजना के अन्तर्गत पिलानीघार से ओणेश्वर मन्दिर की मोटर मार्ग का द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ किये जाने
67. विधान सभा प्रतापनगर में काण्डाखाल-छेरपघार (बसेली से काण्डाखाल) मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य पुनरीक्षित आगमन की स्वीकृति दिये जाने,
68. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत जाखणीघार बरिल झिंवालीर मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं डामरीकरण सुधारीकरण का कार्य किये जाने,
69. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में रिण्डोल धारकोट मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य किये जाने,
70. मा0 मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 1514/2021 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा प्रतापनगर के मंदार से माजफ घोल्टानी मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य। (प्रथम चरण) किये जाने,
71. राज्य योजना के अन्तर्गत भराडी से खैट पर्वत मोटर मार्ग काये। (द्वितीय चरण) किये जाने,
72. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में ग्राम पंचायत घोन्टी के पुल जन्द्रवाडा नामें ताक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण स्टेज-1) किये जाने
73. राज्य योजना के अन्तर्गत गोदडी से गढ़वालगाड देवीघार मोटर मार्ग कार्य। (द्वितीय चरण) का कार्य किये जाने
74. राज्य योजना के अन्तर्गत केदार मन्दिर पट्टी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण स्टेज- 1) किये जाने,
75. भेनगी से बैरवागी का मिसिंग लिंक मार्ग काय (प्रथम चरण) किये जाने,
76. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में जुंकाणी भेलुक्ता मोटर मार्ग के किमी0 4 से मंजगांव भिण्डर तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
77. राज्य योजना के अन्तर्गत पीपलडाली रजाखेत सडक के सिलाली गाड़ में पुलिया निर्माण कार्य किये जाने,

78. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत वि०ख० जाखपीधार में मदननेगी खोला के किमी० 1 से माटणा मदननेगी मोटर मार्ग के जनवालगांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण स्टेज-1) किये जाने,

79. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में पणसूत शुकी मोटर मार्ग के किमी० 5 से पलुन्त तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) किये जाने,

80. मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1514/2021 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर सेम मुखेम मन्दिर तक जाने वाले पैदल मार्ग में कैनोपी शेड निर्माण कार्य किये जाने ,

81. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में क्यारी रैणिया जिवाला पांखरियालगांव मोटर मार्ग तथा सेमल मोटर मार्ग कार्य। (द्वितीय चरण) किये जाने,

82. राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के लम्बगांव बिजपुर राबत गांव पनियाल मोटर पनियाल मोटर मार्ग के किमी० 12 से कांगड़ नामें तोक से प्राथमिक विद्यालय पनियाल एवं लक्ष्मी मन्दिर तक मोटर तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य किये जाने,

83. राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत डोडग थापला मोटर मार्ग के किमी० 4 घेड़धार नामें तोक से कामलिय पाणी तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,

84. राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड प्रतापनगर में ग्राम पंचायत घोन्टी के पुल से जन्द्रवाहा नामे मोटर के नव निर्माण कार्य द्वितीय चरण, स्टेज-1 किये जाने,

85. कन्डियाल गांव पोखरी (बाईपास) मोटर का नव निर्माण कार्य (मुखेम से धंगणगांव मोटर मार्ग) 05 किमी० द्वितीय चरण प्रारम्भ किये जाने,

86. राज्य योजना के अन्तर्गत घनसाली-टिहरी-प्रतापनगर मोटर मार्ग से कोटचौरी तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का द्वितीय चरण किये जाने,

87. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापनगर में स्थालगी-जलांणगांव, डोडग-थापला मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य,
88. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापनगर में पिलानीधार-जमुण्डा (क्वारी) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रथम चरण किये जाने,
89. मदननेगी से ट्राली मोटर मार्ग के किमी०-०२ से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मदननेगी के ०.०८ से ०.४५० मीटर तक पी०सी० द्वारा नवीनीकरण कार्य किये जाने,
90. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापनगर में जाखणीखाल बरिल झिंवाली मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण कार्य किये जाने,
91. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापनगर में रेंडोल धारकोट मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण कार्य किये जाने,
92. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापनगर के तेलुंगा (मांजफ) घोल्डानी मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण का प्रथम चरण कार्य किये जाने,
93. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा प्रतापनगर के विकास खण्ड जाखणीधार में मदननेगी खोला मोटर मार्ग के किमी०-०१ से मोटणा मदननेगी मोटर मार्ग के जलवालगांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य द्वितीय चरण, स्टेज-१ कार्य किये जाने,
94. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में द्यूली बैण्ड म्यूंडी मंदार मिसिंग मोटर मार्ग लम्बाई ३.७२५ किमी० का डामरीकरण कार्य द्वितीय चरण कार्य किये जाने,
95. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली रजाखेत मोटर मार्ग के खिकराटिया बैण्ड से सिण्ड नामे तोक तक ०३ किमी० प्रथम मोटर मार्ग का कार्य किये जाने,

96. भेनगी से बैरवागी वाया कौलधार का मिसिंग लिंक 05 किमी० मोटरमार्ग प्रथम चरण प्रारम्भ किये जाने,
97. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत उप्पू से औलगी तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण व डामरीकरण का कार्य किये जाने,
98. मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1514/2021 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा प्रतापनगर के मंदार से मांजफ घोल्टानी मो० मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य (प्रथम चरण) किये जाने,
99. मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1514/2021 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा प्रतापनगर सेम मुखेम मंदिर तक जाने वाले पैदल मार्ग में कैलोपी शेड का निर्माण किये जाने,
100. मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०-975/2021 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में प्रतापनगर बैण्ड धनागांव होमपाटा से तिमल्यासौड़-मिश्रवाण गांव तक मोटर मार्ग, द्वितीय चरण का कार्य किये जाने,
101. मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०-340/2020 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में मोटना-मदननेगी मोटर मार्ग के बेलन बिट्टा के ऊपर पडिया तक मोटर मार्ग का निर्माण, प्रथम चरण किये जाने,
102. मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०-2048/2016 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में सेलूर से कोटी रौल्यालू तक मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य किये जाने,
103. मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०-339/2020 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में सेलूर से कोटी रौल्यालू तक मोटर मार्ग (लम्बाई 5.00 किमी) का मोटर मार्ग निर्माण का कार्य किये जाने,
104. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के सेलूर कोटी रौल्यालू की बोरगांव से रत्नोगाह थौलधार मिसिंग लिंक सड़क 02 किमी०, द्वितीय चरण का कार्य किये जाने,

105. स्यालगी पिपलोगी लम्बगांव बाईपास सड़क का निर्माण कार्य किये जाने,
106. भैन्तलाखाल गैरी ब्राह्मणों से दुरांश खण्डा तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
107. कोटीखाल धार दुगडा खरोली सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
108. बसेली से झिवाली सड़क का डामरीकरण कार्य किये जाने,
109. ननवा थात सड़क का डामरीकरण कार्य किये जाने,
110. चौदाड़ा खैट पर्वत सड़क का डामरीकरण किये जाने,
111. रिग रोड पर कोटी कालोनी से डोबरा तक भदनों का मूल्यांकन कम दरों पर न किये जाने,
112. ऋषिकेश से यावा घनसाली मन्दार बस सेवा चलाये जाने।

9. काजी मौ० निजामुद्दीन

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. नगरीय क्षेत्रों में एन०जी०टी० के मानकों के अनुसार कूड़ा निस्तारण हेतु ट्रेनिंग ग्राउंड बनाये जाने,
2. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रु० 4000/- प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
3. प्रदेश के किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफ किये जाने,
4. राज्य को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराये जाने,
5. सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण राज्य में लगातार बढ़ हो रहे उद्योगों को पुनः चलाने एवं कोई कार्य योजना बनाये जाने,
6. राज्य के वित्तीय विकास और बेरोजगारी दूर करने तथा नये उद्योगों को स्थापित करने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने जाने,
7. प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर चालू पैराई सत्र और गत वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान अविलम्ब किये जाने,
8. प्रदेश में गत वर्षों की तुलना में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मौजूदा पैराई सत्र में गन्ने मूल्य स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तय किये जाने,
9. राज्य में किसानों से सिंचाई कर पूर्णतः समाप्त किये जाने,
10. राज्य में उर्दू, पंजाबी, कुमाऊनी, गढ़वाली भाषाओं के लिए अलग-अलग ऐकेडमी स्थापित किये जाने,
11. एस०पी०क्यू०ई०एम० के अन्तर्गत मदरसों में कार्यरत शिक्षकों की वर्षों से रुके हुए वेतन अविलम्ब दिये जाने,

12. सम्पत्ति के क्रय-विक्रय में लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी कम किये जाने,
13. प्रदेश में सरकारी सेवाओं में एस0सी0, एस0टी0 एवं ओ0बी0सी0 के पुराने चलते आ रहे बैकलाग को यथाशीघ्र पूरा किये जाने,
14. राज्य की क्षतिग्रस्त सड़कों की यथाशीघ्र मरम्मत अथवा पुनः बनाये जाने,
15. हरिद्वार महाकुम्भ में आने वाले यात्रियों के सुगम आवागमन हेतु यात्रियों की अनुमानित संख्या के अनुसार हरिद्वार की ओर जाने वाले सभी छोटे बड़े मार्गों को व्यवस्थित करने ताकि मुम्भ के समय जाम न लगाये जाने,
16. महाकुम्भ हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में सरकार की ओर से धन की कमी होने एवं मार्च का महिना प्रारम्भ हो गया है और अब तक 50 प्रतिशत से काफी कम धन व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में महाकुम्भ को भव्य बनाने हेतु रुपये 1000/- की व्यवस्था किये जाने,
17. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर में मंगलौर का परिवहन बस अड्डे की स्थिति में सुधार किये जाने तथा यात्रियों के लिए सुविधायें प्रदान किये जाने तथा आधुनिक बनाये जाने,
18. मंगलौर के अस्पताल में बेड बढ़ाये जाने,
19. मंगलौर में खेल का मैदान उपलब्ध कराने जाने,
20. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम सीखर, मंगलौर में बने कालेज में विज्ञान डिग्री कालेज खोले जाने,
21. सी0एच0सी0 गुरुकुल नारसन, मंगलौर को आधुनिक करने और ट्रामा सेंटर बनाये जाने,
22. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के पशु चिकित्सालय मंगलौर और गुरुकुल को आधुनिक कर स्टाफ की कमी को पूरा किये जाने,
23. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के समस्त विद्यालयों के भवनों का सर्वे करवा कर जीर्ण-क्षीर्ण भवनों के स्थान पर नये आधुनिक भवनों का निर्माण किये जाने,
24. सैन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने ब्लाक भगवानपुर और ब्लाक बहादुरबाद को जल स्तर के आधार पर सैमी किटीकल घोषित किये जाने,
25. ग्राउण्ड वाटर के लिए कार्य योजना बनाये जाने,
26. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के सी0एच0सी0 में अल्ट्रासाउन्ड, एक्स-रे और कार्डियोलाजी हेतु उपकरण मगाये जाने,
27. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर क्षेत्र में पुस्तकालय खोले जाने,
28. राज्य में महंगाई कम करने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये टैक्स कम किये जाने,
29. विधान सभा मंगलौर के ग्राम लिखहरडी में नहर के क्षतिग्रस्त पुल का नव निर्माण किये जाने तथा
30. ग्राम सिखर में डिग्री कालेज संचालित न किये जाने।

10. श्री गोपाल सिंह राणा,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. महाराणा प्रताप रा0महा0 विद्यालय नानकमत्ता हेतु भूमि एवं भवन की व्यवस्था कराये जाने,
2. नानकमत्ता वि0स0 क्षेत्र में एक मात्र विद्युत सबस्टेशन है, नानकमत्ता वि0स0 क्षेत्र में एक और ग्राम लामाजेडा करोनी में सब विद्युत स्टेशन की स्थापना कराये जाने,
3. नानक मत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की नियुक्ति कराये जाने
4. जनपद उधमसिंह नगर के नानकमत्ता वि0स0 के ग्राम साधू नगर एवं सिडकुल सिताखंज के मध्य कैलाश नदी में पुल का निर्माण कराये जाने
5. जनपद उधमसिंह नगर के वि0सभा क्षेत्र को जन-जाति क्षेत्र विभिन्न जन-जाति ग्राम जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत ग्रामीण आन्तरिक सड़कों का निर्माण कराये जाने,
6. नानकमत्ता वि0स0 क्षेत्र के नानकमत्ता उप तहसील नानकमत्ता में कौशल विकास केंद्र की स्थापना कराये जाने,
7. वि0सभा0 क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत नानकसागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कराये जाने,
8. नानकमत्ता में राय सिख भवन का निर्माण कराये जाने,
9. नानकमत्ता क्षेत्र में बहने वाली कैलाश नदी एवं दोहा नदी से बाढ़ कटने वाली भूमि को सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण कराये जाने,
10. नानकमत्ता उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाय तथा तहसील भवन का निर्माण कराये जाने,
11. रा.उ.मा.विद्यालय ऐचता उधमसिंहनगर का उद्घाटन कराये जाने,

11. श्री फुरकान अहमद,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर में पुरानी गंगनहर के पुल जो क्षतिग्रस्त है, स्वीकृत पुल का निर्माण तत्काल कराये जाने
2. जनपद हरिद्वार के पाउली गुज्जर तैलीवाला के पास रेलवे पुल का निर्माण कराये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर विधान सभा या मेहवउ में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

4. जनपद हरिद्वार के पिरानकलियर नगरपंचायत में पानी की टंकी व पाईप लाईन का निर्माण कराये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के रामपुर व पाउली गुज्जर तेलीवाला योजना के अन्तर्गत पेयजल का टैंक व पाईप लाईन व सीवर का निर्माण किये जाने,
6. प्रदेश के किसानों के कर्ज माफ किये जाने,
7. प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान किये जाने,
8. जनपद हरिद्वार के पिरानकलियर विधान सभा में हकीमपुर तुरी से पुहाना ईकवालपुर की ओर सौलानी नदी पर सेतु एवं सड़क एवं सेतु का द्वितीय निर्माण का शासनादेश जारी किये जाने,
9. मदरसा बोर्ड से प्राप्त मदरसे को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने,
10. जनपद हरिद्वार पिरान कलियर शरीफ को पांचवे धाम के रूप में घोषित किये जाने,
11. जनपद हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पिरान कलियर में सीवर लाईन बनाये जाने,
12. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर शरीफ के वार्षिक मेले को सरकारी मेले घोषित किये जाने,
13. राज्य के सभी मुस्लिम एवं ईसाइयों के कब्रिस्तान व शमशान घाट की चारदीवारी का निर्माण किये जाने,
14. जनपद हरिद्वार के नदियों जैसे सौलानी नदी, स्तमवउ नदियों के किनारे पैचिंग, तटबन्ध निर्माण किये जाने,
15. जनपद हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध पिरानकलियर में बंद पड़ी नहर धनौरी से रुड़की तक नौकाविहार एवं कृत्रिम झील का निर्माण किये जाने,
16. जनपद हरिद्वार रुड़की में अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किये जाने,
17. विधान सभा पिरान कलियर व पिरान कलियर नगर पंचायत की बिजली कटौती बंद किये जाने,
18. पिरान कलियर विधान सभा के सभी गाँवों में पानी की टंकी व टैंक निर्माण कराये जाने,
19. पिरान कलियर विधान सभा में 1000 नये हैण्ड पम्प लगाये जाने,
20. किसानों के गन्ने के मूल्य रु0 500 प्रति कुन्तल किये जाने,
21. पिरानकलियर विधान सभा के मगरूमपुर-मुस्तफाबाद में पालिटैक्निक खोले जाने,
22. पिरान कलियर विधान सभा भारापुर में बिजलीघर बनाये जाने,

23. पिरान कलियर नगर पंचायत में डिग्री कालेज खोले जाने,
24. पिरान कलियर विधान सभा ईमलीखेड़ा में रा0क0इ0कालेज खोले जाने,
25. पिरान कलियर विधान सभा के राज्य योजना के लम्बित पड़े सभी मामलों में शीघ्र शासनादेश जारी किये जाने।
26. रुड़की तहसील को जिला घोषित किया जाय।
27. जनपद हरिद्वार व प्रदेश के सभी जिलों में द्यूबवैल में बिजली फ्री दिये जाने,
28. घरेलू बिजली कनेक्शन में सरचार्ज माफ करने एवं बिजली के रेट कम किये जाने,
29. जी0टी0 रोड कोर कालेज से भारपुर से होते हुए शेखपुरी तक सड़क का निर्माण व रतमउ नदी पर स्पाय का निर्माण कराये जाने,
30. दरियापुर से नागल पलुबी तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
31. पिरान कलियर नगर पंचायत का सौंदर्यीकरण कराये जाने,
32. गुलाब शाह पीर राजकीय कन्या इन्टर कालेज के निर्माण के लिए बजट जारी किये जाने,
33. रामपुर पंचायत में बिजली घर बनाये जाने,
34. पाडली गुज्जर में राजकीय इन्टर कालेज स्वीकृत किये जाने
35. हरिद्वार रुड़की रोड कोर कालेज के सामने से पिरान कलियर तक सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,
36. मदरसों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ते हुए उनका आधुनिकरण किये जाने तथा मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के प्रमाण पत्रों को अन्य बोर्डों के समान समकक्षता प्रदान किये जाने,
37. उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में निःशुल्क जूता एवं बैक उपलब्ध कराये जाने,
38. उर्दू शिक्षकों की भर्ती किये जाने,
39. प्रदेश में बढ़ती मंहगाई एवं बेरोजगारी को रोकने के लिए ठोस योजना बनाये जाने,
40. जनपद हरिद्वार रुड़की पिरान कलियर व धनौरी व रुड़की तक लाईट लगाने का कार्य किये जाने
41. जनपद हरिद्वार में कोर कालेज से पिरान कलियर व बेडपुर चोक तक लाईट लगाये जाने,
42. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर के मुर्कपुर से बेडपुर रोड से धनौरी की ओर नाला का निर्माण किये जाने

43. पिरान कलियर नगर पंचायत में अन्य स्थानों पर जल निकासी का कार्य व नाला निर्माण कार्य किये जाने
44. जनपद हरिद्वार में पिरान कलियर से बेडपुर चौराहे तक मेन रोड का चौड़ीकरण एवं डिवाइडर का निर्माण कार्य किया जाय।
45. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में बस स्टेन्ड का निर्माण कार्य किये जाने
46. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में पार्किंग का निर्माण कार्य किये जाने
47. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर के रामपुर नगर पंचायत में सीवर लाईन निर्माण का कार्य किये जाने
48. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर के ईमली खेड़ा नगर पंचायत में सीवर लाईन निर्माण का कार्य किये जाने
49. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर के पाडली गुज्जर नगर पंचायत में सीवर लाईन का निर्माण कार्य किये जाने
50. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में स्वीकृत चूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए बजट जारी कर धरातल पर कार्य शुरू कराये जाने,
51. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में दरगाह शरीफ का सौन्दर्यीकरण किये जाने।

12. श्री खुशाल सिंह अधिकारी,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

01. लोहाघाट नगर के गजूल भूमि को फ्री होल्ड किये जाने
02. लोहाघाट में युग पुरुष स्वामी विवेकानन्द जी के नाम से मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने,
03. कृषि विज्ञान केन्द्र लोहाघाट में पन्तनगर कृषि महाविद्यालय खोले जाने लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय का उच्चीकरण किये जाने
04. लोहाघाट के उप जिलाचिकित्सालय का उच्चीकरण किये जाने,
05. लोहाघाट के पालिटेक्निक कॉलेज का उच्चीकरण कर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाये जाने
06. लोहाघाट में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने
07. लोहाघाट के ग्राम सुतेड़ा से ग्राम जमरेड़ी कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,

08. लोहाघाट के ग्राम सभा खतेड़ा व गंगनौला में पेयजल योजना का निर्माण कार्य किये जाने,
09. लोहाघाट के खुनाबोरा में पेयजल योजना बनाये जाने,
10. लोहाघाट क्षेत्र के प्रसिद्ध झुमाधुरी मन्दिर में रोपवे ट्रेली लगाये जाने,
11. लोहाघाट के चौकड़ी तोक से कोयाटी खालसा तक सड़क निर्माण किये जाने
12. लोहाघाट के ग्राम चामी कुमालेश्वर से मन्दिर तक सड़क निर्माण किये जाने
13. लोहाघाट के किमतौली रैसाल मोटर मार्ग से रुद्रमाली, पोखरी तक मोटर मार्ग सुधारीकरण।
14. लोहाघाट के ग्राम सभा पऊ से सिमल घांघल होते हुए गला गांव तक मोटर मार्ग निर्माण।
15. लोहाघाट के ग्राम पंचायत बमनकुड़ा से मौड़ा गांव तक सड़क निर्माण किये जाने
16. बाराकोट में अतिथि विश्राम गृह का निर्माण किये जाने
17. बाराकोट में डिग्री कालेज का निर्माण कार्य किये जाने,
18. बाराकोट के पन्दा में पेयजल योजना बनाये जाने,
19. पाटी के रीठ साहिब में डिग्री कालेज का निर्माण कार्य किये जाने,
20. पाटी के केदारथान से चमतौला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,
21. पाटी के ग्राम सभा चौड़ासौन से पुनौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,
22. पाटी के ग्राम पंचायत चौड़ाकोट के युवामौनी मुख्य सड़क से हुंगरा तोक तक सड़क निर्माण किये जाने,
23. बाराकोट के बैड़ा बैडवाल के तोक चमनपुर भनखोला के विस्थापन किये जाने,
24. बाराकोट के प्रसिद्ध मा भगवती मन्दिर लडीधुरा को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने
25. पाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध फट्कशीला मन्दिर को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने
26. पाटी लधियाघाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध मा शीला देवी मन्दिर को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने

27. पाटी के रीठखाल क्षेत्र के प्रसिद्ध मन्दिर को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने
28. पाटी के कानाकोट मोटर मार्ग से तल्लीलड़ी, झाडसिरतोली छिल्काछीना मोटर मार्ग को जोड़ते हु विकसित किए जाने
29. पाटी के बिनवाल गाव से कलियाधुरा छीडाखान मोटर मार्ग 24.03. 2008 की स्वीकृति को यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ किये जाने
30. पाटी के रीठसाहिब में भू कटाव को रोकने हेतु चैक डैम का निर्माण किये जाने
31. पाटी के सिमलखेत में भू कटाव को रोकने हेतु चैक डैम का निर्माण किये जाने
32. पाटी के धरसो लिंक रोड से भीमराडा के अधीनकर कैडाईजर तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने
33. बाराकोट में ग्राम पटली से जिन्डी काकड तक मोटर मार्ग को लोनि0पि0 के अधीन किये जाने
34. पाटी के ग्राम नानर में हास्पिटल तिराहे से बूनामानर तक सड़क निर्माण किये जाने
35. पाटी के रीठमिडार मोटर मार्ग से लिंक रोड कर्टिंग एवं सुधारीकरण कार्य किये जाने
36. पाटी के ग्राम परेवा में तोक कापडा धौ से मूल ग्राम मन्दिर तक सड़क निर्माण किये जाने,
37. बाराकोट के तोक खलवियां, बब्जाबाड, अतखड़ा में मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
38. बाराकोट के ग्राम पंचायत तड़ीगांव में ग्राम डोबा-खाली तोक में सड़क निर्माण किये जाने,
39. पाटी के कानाकोट से तल्ली लडी अवशेष सड़क निर्माण कार्य किये जाने
40. विकास छण्ड मुख्यालय पाटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटी का उच्चीकरण किये जाने
41. पाटी के ग्राम पंचायत चौडासौन में बिलगडा तोक में भू कटाव हेतु चेक डैम निर्माण किये जाने
42. पाटी के ग्राम देवली से बौलिया गांव तक सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने

43. पाटी के न्याय पंचायत चौडामेहता में पशुचिकित्सालय की स्थापना किये जाने
44. लोहाघाट के छमनियाचौड को मिनी फिल्म सिटी के रूप में विकसित किये जाने
45. लोहाघाट के चौखामबाबा के चमुदेवता मेले को राजकीय मेला घोषित कर पर्यटन विभाग से विकसित किये जाने।

13. श्री सुमित हृदयेश,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. अंतराष्ट्रीय स्तर के चिड़ियाघर एवं सफारी बनाये जाने,
2. स्मैक मुक्त हलद्वानी पर युद्धस्तरीय कार्य किये जाने,
3. स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क जांच एवं बहुउद्देशीय कैम्प लगाये जाने।
4. नजुल नीति के क्रियान्वयन का सरलीकरण किये जाने, जिससे कि आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके,
5. सुशीला तिवारी अस्पताल को एम्स की तर्ज पर उच्चिकृत कराने तथा अस्पताल के समीप तीमारदारों व रोगियों के लिये विश्रामालय का निर्माण कराये जाने,
6. हलद्वानी की यातायात व्यवस्था का सुव्यवस्थित करने के लिये तथा जाम से निजात पाने के लिये धरातलीय योजना का निर्माण कराये जाने,
7. तहसील परिसर में बहुउद्देशीय भवन, जिसमें तहसील, ट्रेजरी एवं अन्य सरकारी दफ्तरों की स्थापना तथा व्यवसायिक भवन व अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराये जाने,
8. बाजार क्षेत्र में मातृ शक्ति एवं व्यापारियों की सुविधा के लिये अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित (हाईटेक) शौचालय एवं छोटी पार्किंगों की व्यवस्था कराये जाने,
9. बरसाती नाले से जाव-माल की सुरक्षा हेतु उचित कार्य कराये जाने,
10. बेरोजगारों तथा कर्मचारियों/आउटसोर्स की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने।
11. सभी सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता के लिये विद्यालय भवनों का सुदृढीकरण करने तथा रोजगारपरक शिक्षा प्रदान कराने महाविद्यालयों में कैम्पस इंटरव्यू के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने,

12. दमुवाढूंगा वसियों की भूमि का नियमित कर एवं श्रमिक एवं मलिन बस्तियों- काठगोदाम, राजेन्द्र नगर, आजाद नगर का मालिकाना हक एवं इन बस्तियों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा विद्यालयों का उच्चीकरण कराये जाने,
13. भवननिर्माण की दरों को सस्ता करने के लिए गौला से निकलने वाले खनिज की रायल्टी को न्यूनतम दर तक लाने, जिससे कि गौला से जुड़े कारोबारियों को भी व्यवसाय करने में सुविधा मिल सके।

14. श्रीमती अनुपमा रावत,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार की विधानसभा क्षेत्र एवं 35- हरिद्वार ग्रामीण में एक उच्च राजकीय चिकित्सालय खोले जाने एवं जनपद हरिद्वार की विधान सभा क्षेत्र 35-हरिद्वार ग्रामीण में ग्राम भोगपुर, लालबांग पी0एच0सी0 का उच्चीकरण किये जाने,
2. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के लालबांग में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा 2021 की घोषणा अनुसार सिडकुल क्षेत्र का विस्तारीकरण एवं 70 प्रतिशत स्थानीय नव जवानों को रोजगार दिये जाने,
3. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में कुम्भ क्षेत्र का विस्तारीकरण कर बड़ी सड़कों का निर्माण किया जाए एवं भोगपुर से कांगड़ी तक पुल का निर्माण किये जाने,
4. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में गंगा नदी पर तटबंधों का निर्माण किये जाने,
5. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण पूर्णरूप से ग्रामीण होने के कारण एक तहसील की स्थापना किये जाने,
6. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में ज्यादातर क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बहुत नुकसान होता है इस हेतु बाउंडरी वाल व तारबाड़ किये जाने,
7. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण में स्ट्रीट लाईट पूर्णरूप से लगाई जाने,
8. हरिद्वार ग्रामीण में दो खेल के मैदानों का निर्माण किये जाने,
9. हरिद्वार ग्रामीण में ग्राम बादशाहपुर में एक कन्या महाविद्यालय खोला जाय एवं महाविद्यालय का नाम भारत रत्न डा .भीमराव अम्बेडकर के नाम रखे जाने,
10. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के लालबांग में इंटरनेट बूस्टर लगवाये जाने,
11. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में रविदास मंदिर व बाल्मिकी मंदिरों का सौन्दर्यकरण किये जाने,
12. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में बंद पड़े ट्यूबवैल संचालित किये जाने एवं बये ट्यूब वैल निर्माण किये जाने,

13. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में ओवर हेड हेतु टैंक बनाये जाने,
14. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में ट्यूबवैल व बिजली बिल माफ किये जाने,
15. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में लालढांग से कोटाद्वार तक राज्य मार्ग के तर्ज पर सड़क का चौड़ीकरण कर सड़क निर्माण किया जाये व चिल्लरखाल तक बनाये जाने,
16. लालढांग में खासन नदी पर बड़ा जलाशय का निर्माण किये जाने,
17. गन्ने का प्रति दो सप्ताह में भुगतान किये जाने एवं नये गन्ने खरीद केंद्र खोले जाने।
18. प्रसिद्ध टिहरी बांध विस्थापित पथरी के लोगों पथरी, गैडीखात वन गुज्जरों, पुरुषोत्तम नगर, कमला नगर वासियों का जमीनों का मालिकाना अधिकार दिये जाने,
19. हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम डालपुरी, ग्राम चण्डीघाट, ग्राम पथरी, गैडीखाता के वनगुज्जरों के ग्राम राजस्व घोषित किये जाने
20. ग्राम धनपुरा, घिस्सुपुरा में हाईटेशन बिजली तार हटाये जाने
21. ग्राम जमालपुर कला में बत्ती समस्त कालोनी में बाली निर्माण किये जाने।
22. हरिद्वार ग्रामीण के प्रत्येक जिला पंचायत क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह हेतु सरस भवन बनाये जाने
23. हरिद्वार ग्रामीण में इच्छुक ग्रामों से प्रस्ताव लेकर ओपन जिम की स्थापना किये जाने
24. ग्राम कांगड़ी के गंगा तट पर तटबन्ध का निर्माण किये जाने
25. ग्राम मीठीबेरी से ग्राम ढढियानवाला तक नदी का कटाव रोकने हेतु आर0सी0सी0 दिवार निर्माण कार्य किये जाने,
26. ग्राम इक्कड़ कला से ग्राम इब्राहीमपुर होते हुए ग्राम अलीपुर तक इन्टर लॉकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य (लगभग 09 कि0मी0) किये जाने
27. न्याय पंचायत लालढांग से मीठीबेरी, पीली पड़ाव, खोखरा होते हुए बाहरपीली, श्यामपुर, कांगड़ी एवं गाजीवाली तक इन्टर लॉकिंग टाईल्स सड़क निर्माण कार्य (लगभग 09 कि0मी0) किये जाने,
28. ग्राम रानी माजरा में कृषि महाविद्यालय स्थापित किये जाने,
29. हरिद्वार ग्रामीण के लालढांग में सन् 2015 में स्थापित आई0टी0आई0 को पुनः स्थापित किये जाने,
30. ग्राम फेरुपुर में पशु चिकित्सालय स्थापित किये जाने,
31. जिला हरिद्वार डिविजन में वन गुज्जर को लोपिंग परमिट दिलाने हेतु एवं हरिद्वार डिविजन के अन्तर्गत वनों में निवासस्थ थे, प्रत्येक परिवारों का सम्मुचित पुर्नवास किये जाने,
32. ग्राम सुकरासा में नव सेतु पुल का निर्माण किये जाने,
33. ग्राम रसूलपुर से लालढांग गांधी चौक की ओर नव सेतु/पुल का निर्माण कार्य किये जाने,

34. ग्राम पथरी में टिहरी बांध विस्थापितियों की समस्त सड़कों का सुदृढ़ीकरण/सुधारीकरण का कार्य किये जाने,
35. ग्राम पथरी में टिहरी बांध विस्थापित ग्रामों में टी.एच.डी.सी. द्वारा सामुदायिक भवनों, पार्कों, मंदिरों के निर्माण/मरम्मत/सुदृढ़ीकरण कार्य किये जावे,
35. विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण की समस्त रामलीलाओं को संस्कृतिक विभाग द्वारा अनुदान राशि प्रदान किये जाने।

15. श्री लखपत बुटोला,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद-चमोली के 04 बट्टीनाथ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक पोखरी की बिल्डिंग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने,
2. विकासखण्ड पोखरी में लो०नि०वि० की जिलासू से आली मोटर मार्ग का अधूरा कार्य निर्माण जल्दी पूरा किये जाने,
3. विकासखण्ड दशोली में ईरानी (पी०एम०जी०एस०वाई) की सड़क एवं पुल का कार्य शीघ्र कराये जाने,
4. विकासखण्ड पोखरी में एक सरकारी बैंक को खोले जाने ,
5. विकासखण्ड पोखरी में रा०इ०का० उडामाण्डा एवं राजकीय इण्टर कालेज चौण्डी की बिल्डिंग को स्वीकृति देते हुए नया भवन बनाये जाने,
6. पोखरी विकासखण्ड कनकचौरी से कार्तिकस्वामी तक सड़क का निर्माण किये जाने,
7. पोखरी विकासखण्ड में धोतीधार सड़क का निर्माण शीघ्र कराये जाने,
8. जोशीमठ विकासखण्ड में दुमक कलकोट सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने
9. सी०एच०सी० पोखरी को एवं जोशीमठ को उप चिकित्सालय बनाये जाने,
10. बट्टीनाथ विधानसभा की हर गांव में एक खेल मैदान का निर्माण किये जाने,
11. बट्टीनाथ विधानसभा की सभी सड़कों को पक्का एवं डामरीकरण किये जाने,
12. बट्टीनाथ विधानसभा की सभी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती किये जाने,
13. बट्टीनाथ विधानसभा में जंगली जानवरों की रोक-थाम के लिए उपाय किये जाने।

16. श्री विरेन्द्र कुमार,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. महंगाई कम करने हेतु डीजल, पेट्रोल पर तय कर कम किये जाने,
2. प्रदेश में स्थापित उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार देना सुनिश्चित किये जाने
3. अनु0जाति/अनु0जनजाति/ओ0बी0सी0 की सरकारी सेवाओं में बैक लाग की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने
4. सम्पूर्ण राज्य में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति किये जाने,
5. प्रदेश में पंजाबी, गढ़वाली, कुमाऊनी, उर्दू, संस्कृत इत्यादि भाषाओं की पृथक-पृथक एकेडमी का गठन किये जाने
6. प्रदेश के सभी बेरोजगारों को यथाशीघ्र योग्यतानुसार रोजगार दिया जाने,
7. प्रदेश के सभी बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
8. प्रदेश के कैंसर से ग्रस्त सभी मरीजों का राज्य सरकार द्वारा मुफ्त ईलाज किये जाने,
9. झबरेड़ा विधान सभा में सुचारु विद्युत वितरण हेतु बिजली घरों का आधुनिक रूप से उच्चीकरण किये जाने,
10. झबरेड़ा विधान सभा में गरीब बच्चों हेतु उच्चकृत आवासीय विद्यालय बनाये जाने,
11. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र कृष्णानगर में जल निकासी सुनिश्चित किये जाने,
12. झबरेड़ा विधान सभा में गन्ना शोध केन्द्र बनाया जाना सुनिश्चित किये जाने,
13. गन्ना किसानों के बकाया भुगतान सुनिश्चित किये जाने,
14. ईकबालपुर फाटक पर ओवरब्रिज बनवाना सुनिश्चित किये जाने,
15. प्रदेश के किसानों को यूरिया व अन्य उर्वरक सामाग्री प्रदान किये जाने,
16. ईकबालपुर से खोताखेड़ी कमेलपुर रुड़की मार्ग का चौड़ीकरण व नव निर्माण कराये जाने,
17. झबरेड़ा विधान सभा में रोडवेज बसों का संचालन सुचारु किये जाने,
18. झबरेड़ा विधान सभा के करीब झबरेड़ा में मिनी स्टेडियम व पनियाला में मिनी स्टेडियम बनाये जाने,

19. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत झबरेड़ा में रोड़वेज बस अड्डा बनाये जाने,
20. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बन्दरों के प्रकोप से जनता को हो रही परेशानियों के लिए उपाय किये जाने,
21. प्रदेश के वनों में आग लगने से रोकने हेतु प्रभावी एवं ठोस कदम उठाये जाने,
22. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत अस्पतालों का उच्चीकरण किये जाने,
23. विधान सभा झबरेड़ा में राजकीय तकनीकी महाविद्यालय बनवाये जाने,
24. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को पूर्ण कराये जाने,
25. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यायामशाला खुलवाये जाने,
26. झबरेड़ा विधान सभा की सभी खराब मोटर मार्गों का डामरीकरण एवं नवीनीकरण करवाये जाने।
27. झबरेड़ा विधान सभा ग्राम सालियर में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना कराये जाने,
28. झबरेड़ा विधान सभा ग्राम भगतवाली के निकट मानकपुर चौराहा झबरेड़ा में बाबा साहेब डा० बी०आर० अम्बेडकर जी की विशालकाय प्रतिमा मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत लगाये जाने,
29. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने,
30. झबरेड़ा विधान सभा में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत घोषित ग्राम लखनौला में तहसील की स्थापना किये जाने,
31. उत्तराखण्ड प्रदेश में पर्वतीय व मैदानी जिलों में कृषि चंत्रों पर सब्सिडी में समानता लाने,
32. झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गौवंश संरक्षण के लिए गौशाला खोले जाने।

17. इंजी० रवि बहादुर,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. बंजारेवाला से सुभाषगढ़ तक राजस्व जंगल व राजाजी नेशनल पार्क है। जंगल क्षेत्र होने के कारण जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। जंगली जानवरों से फसलों को बर्बादी की रोकथाम हेतु सोलर फेंसिंग की व्यवस्था किये जाने,

2. ज्वालापुर विधान सभा बरसाती नदियों वाला क्षेत्र है इसके अन्तर्गत जैसे कि सोलानी नदी, रतमऊ नदी, मोहदड़ो नदी, कन्या नदी तथा अन्य नदियां आती हैं। इनके लिए 100 किलोमीटर लम्बा पेविंग कर तटबंध निर्माण व्यवस्था किये जाने,
3. ज्वालापुर विधान सभा के घाट क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के लिए 50-60 किमी दूर सिडकुल जाना पड़ता है उनके लिए घाट क्षेत्र में ही फैक्ट्री लगाकर रोजगार उपलब्ध कराये जाने,
4. ज्वालापुर विधान सभा के घाट एवं खादर क्षेत्र में 50 बेड का अस्पताल का निर्माण किये जाने,
5. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में वन गुर्जरों के लिए बिजली, पानी, सड़क की सुविधा उपलब्ध कराये जाने,
6. ज्वालापुर विधान सभा के घाट क्षेत्र के वन आरक्षित क्षेत्र में गेहूं तैयार हो रहा है तथा गर्मियों के मौसम में आग बहुत अधिक लगती है जिसके कारण फसलों के साथ-साथ गांव में बनाए गए छपर भी जलकर राख हो जाते हैं। आग से बचाव के लिए अग्निशमन की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए देहरादून, रुड़की आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। धाना बुग्गावाला परिसर में ही अग्निशमन वाहन की व्यवस्था किये जाने,
7. ज्वालापुर विधान सभा के घाट क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
8. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था नहीं होने से ब्रामीणों और स्कूल के बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व में बस की व्यवस्था थी लेकिन बंद कर दी गयी। घाट क्षेत्र को रुड़की, रोशनाबाद आदि से जोड़ने के लिए परिवहन व्यवस्था लागू किये जाने,
9. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में एक भी मिनी स्टेडियम नहीं होने से बच्चों को खेलकूद में परेशानी होती है। ज्वालापुर विधान सभा में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
10. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के बेगमपुर औद्योगिक क्षेत्र को सिडकुल में शामिल किये जाने,
11. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में कुंभ निधि के अन्तर्गत निर्माणाधीन धनौरी सिडकुल मार्ग जो बहादुराबाद पुरानी गंगनहर करी दाएं पटरी पर 10 किमी लम्बाई दो लेन चौड़ी स्वीकृत किये जाने,

12. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनाई जा रही टंकियों में आ रही खामियां तथा ग्राम पीतपुर में बनाई गई टंकियों में दरार आने व कई गांवों में टीक टंकियां तोड़कर दुबारा बनाये जाने,
13. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सीमा क्षेत्र के बिहारीगढ़-हरिद्वार सड़क का चौड़ीकरण किये जाने तथा क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनर्निर्माण किये जाने,
14. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में राजा जी नेशनल पार्क से लगी हुई सीमा पर दीवार निर्माण कार्य कराये जाने।

18. श्री शहजाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है %&

1. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर में बेरोजगारी के स्थाई निवारण हेतु औद्योगिक ईकाईयां स्थापित किये जाने व क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत नगर पंचायत सुल्तानपुर में एक खेल का मैदान (मिनी स्टेडियम) बनाये जाने,
4. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत ग्राम महाराजपुर कलां में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इण्टरमीडिएट में उच्चीकृत किये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत नगर पंचायत सुल्तानपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
6. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत लक्सर में महिला पॉलिटेक्निक खोले जाने,
7. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर में पानी की निकासी का स्थाई समाधान किये जाने,
8. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर में स्थित सी०एच०सी०, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों की स्थाई रूप में नियुक्ति किये जाने,
9. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक गांव में गौशाला खोले जाने,
10. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक गांव में डाक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत श्री रविदास और महर्षि वाल्मिकी स्थलों का सौन्दर्यकरण किये जाने,

11. राज्य में विधवा व वृद्ध महिलाओं का उपचार निःशुल्क किये जाने,
12. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक गांव में शमसान घाट में छत्री व कब्रिस्तान में जनाजा कक्ष तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध किये जाने,
13. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक गांव के शमसान घाट व कब्रिस्तान का सौन्दर्यकरण किये जाने,
14. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक गांव में वाटर ए0टी0एम0 लगाये जाने,
15. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर में प्रत्येक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त भवन, शौचालय बालक व बालिका, व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
16. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण किये जाने,
17. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत आने वाले सभी गरीब परिवारों एवं किसानों का बिजली बिल माफ किये जाने,
18. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत समस्त पुलियाओं का पुनर्निर्माण बरसात से पहले कराये जाने,
19. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर में चिकनगुनियां, डेंगू एवं मच्छरों से निजात पाने के लिये ठोस कदम उठाये जाने,
20. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक गांव में योगा केन्द्र खोले जाने,
21. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर में ट्रेफिक जाम से निपटने के लिये ठोस कदम उठाये जाने,
22. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत तालाबों का सौन्दर्यकरण एवं चारों ओर रैलिंग की व्यवस्था किये जाने
23. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक गांव में खेल के मैदान की व्यवस्था किये जाने,
24. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर व नगर पालिका परिषद लक्सर में पार्क बनाये जाने,
25. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत ग्राम अकबरपुर ऊद में स्थित राजकीय आई0टी0आई0 में ट्रेड बनाये जाने।

19. श्री उनेश कुमार,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. प्रदेश में लगाये जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर तत्काल रोक लगाई जाने,
2. प्रदेश में सशक्त भू-कानून को तत्काल लागू किये जाने,

3. पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा के लिये तत्काल आवास तथा बीमा योजना शुरू किये जाने,
4. प्रदेश में कार्यरत राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने,
5. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों को नियमितिकरण किये जाने,
6. दुर्गा कालोनी, भगेड़ी, जलालपुर आदि में लगभग 30000 की आबादी आर्मी का गेट होने व समय पर न खुलने से दिन रात प्रभावित रहती है। तत्काल रास्ता खुलवाये जाने,
7. प्रदेश में किसानों की समस्याओं को देखते हुए तत्काल किसान आयोग का गठन किये जाने,
8. किसानों के गन्ने के मूल्य में 500 रुपये प्रति कुन्तल की वृद्धि किये जाने,
9. उत्तर-प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखण्ड के किसानों को बिजली मुफ्त दिये जाने,
10. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों का तत्काल उच्चीकरण किये जाने,
11. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के खानपुर से दल्लावाला मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने,
12. इकबालपुर शुगर मिल के किसानों का गन्ने का पुराना बकाया भुगतान शीघ्र किये जाने,
13. प्रदेश के जनपद हरिद्वार में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
14. आंगनवाड़ी, भोजन माता, ग्राम प्रहरी के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी किये जाने,
15. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लक्सर में सभी विषय के अध्ययन को जोड़े जाने,
16. जनपद हरिद्वार के समस्त ब्लॉकों में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2017 से आतिथि तक जिलाधिकारी हरिद्वार की निगरानी में समिति गठित कर जांच किये जाने,
17. राज्य में विधवा/वृद्धा/विकलांग पेंशन के लिए आय का मानक 1500 से बढ़ाकर 5000 रुपये किये जाने,
18. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत आने वाले समस्त श्री रविदास मंदिर एवं वाल्मीकि मंदिर का सौन्दर्यकरण किये जाने,
19. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग में पुनः निर्माण कार्य किये जाने,
20. पी0आर0डी0 मे कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करते हुए सी0एल0 तथा ई0एल0 की व्यवस्था किये जाने,
21. प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित किये जाने।

20. श्री संजय डोभाल,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में

निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. हनुमान घाटी से निसणी तक सड़क निर्माण स्वीकृत किये जाने,
2. गढ़वाल गाढ़ से कोट तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
3. ग्राम सभा बन्दगांव से हरिजनबस्ती होते हुए धार तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
4. विकास खण्ड चिन्वालीसौड़ में मुख्य रोड से गोरुड़ गांव तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
5. ग्राम सभा भन्साड़ी रोड से गुर्मसु तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
6. ग्राम सभा कुर्सिल से फूलधार तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
7. विकास खण्ड चिन्वालीसौड़ में मुख्य रोड से धारकोट बट्टा तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
8. कुपड़ा रोड से त्रिसली गांव तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
9. विकास खण्ड चिन्वालीसौड़ मुख्य रोड से बड़ेथी बन चौरा मोटर मार्ग से मोरगी गांव तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
10. पोष्टी मोल्दा रोड से ग्राम सभा पोष्टी तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
11. राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम सभा बाड़िया तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
12. ग्राम पाली में रुददी खड्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
13. राजकीय इण्टर कातेज कुथनौर में इण्टरमीडिएट स्तर पर विज्ञान वर्ग के पद स्वीकृत किये जाने,
14. जनपद उत्तराकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़कोट एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिन्वालीसौड़ में महिला रोग विशेषज्ञा की नियुक्ति किये जाने,
15. चार धाम यात्रा के दौरान यात्रा को सुरक्षित करने श्रद्धालुओं को सभीत रह की व्यवस्था उपलब्ध कराने और प्रदेश की आर्थिकी बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
16. जो जल स्रोत सूख चुके हैं उनको रीचार्ज करने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
17. आपदा के दौरान जिनकी परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको उचित मुआवजा दिये जाने,
18. प्रदेश में कृषि उपज को बढ़ाये जाने एवं किसानों की आय को दोगुना किये जाने हेतु नई कृषि नीति बनाये जाने,
19. विकास खण्ड चिन्वालीसौड़ में मुख्य रोड सेनेरींदिकोली तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
20. विकास खण्ड डुण्डा के ब्रह्मखाल में उप तहसील की स्थापना किये जाने।